

**वार्षिक लेखा विवरण**  
**ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS**  
**2015-16**



**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**Securities and Exchange Board of India**



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों (जिनमें शामिल हैं - 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान खाता) की लेखापरीक्षा की गई। जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15(4) के तहत अपेक्षित है, इन विवरणों के साथ इनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भिजवाई जा रही है, जिन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

*The Financial Statements comprising the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2016, the Income & Expenditure Statement and Receipts & Payments Account for the year then ended have been audited by the Comptroller and Auditor General of India. As required by Section 15(4) of the Securities And Exchange Board of India Act 1992, the same along with the Audit Report thereon is being forwarded to Central Government which shall cause the same to be laid before each house of the Parliament.*



**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**  
**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखा विवरण हेतु अनुक्रमणिका**  
**INDEX FOR STATEMENT OF ACCOUNTS FOR**  
**THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

विवरण PARTICULARS	पृष्ठ सं. PAGE NO
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016	4
31 मार्च 2016 को तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS AT 31 <sup>ST</sup> MARCH 2016	10
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 <sup>ST</sup> MARCH 2016	11
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 <sup>ST</sup> MARCH 2016	12
<b>31 मार्च 2016 के तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ</b> <b>SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016</b>	
1 कॉर्पस/पूँजी निधि / CORPUS/CAPITAL FUND	14
2 आरक्षिति तथा अधिशेष / RESERVE AND SURPLUS	14
3 उद्दिष्ट निधियाँ / EARMARKED FUNDS	15
4 जमानती/गैर-जमानती ऋण और उधार / SECURED/UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	15
5 चालू देयताएँ और प्रावधान / CURRENT LAIBILITIES AND PROVISIONS	16
6 अचल आस्तियाँ / FIXED ASSETS	19
7 उद्दिष्ट निधियों से निवेश / INVESTMENTS-FROM EARMARKED FUNDS	20
8 निवेश-अन्य / INVESTMENTS-OTHERS	20
9 चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम / CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES	21
<b>31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूचियाँ</b> <b>SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016</b>	
10 फीस/अभिदान / FEES / SUBSCRIPTIONS	23
11 निवेशों से आय / INCOME FROM INVESTMENTS	24
12 अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	25
13 अन्य आय / OTHER INCOME	25
14 स्थापना व्यय / ESTABLISHMENT EXPENSES	26
15 अन्य प्रशासनिक व्यय / OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES.	27
16 ब्याज / INTEREST	27
17 पूर्व अवधि समायोजन / PRIOR PERIOD ADJUSTMENT	28
<b>31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की भागस्वरूप अनुसूचियाँ</b> <b>SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016</b>	
18 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	29
19 आकस्मिक देयताएँ तथा लेखों संबंधी टिप्पणियाँ / CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS	35

# 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के संलग्न तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण सेबी के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, इन वित्तीय विवरणों पर कोई मत अभिव्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में सर्वोत्तम लेखांकन परिपाटियों, लेखांकन मानदंडों और प्रकटन मानकों, आदि के साथ केवल वर्गीकरण, समरूपता के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और निष्पादन-सह-कार्यक्षमता पहलुओं आदि की अनुपालना के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा अभिमत, यदि कोई हो, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के जरिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा-परीक्षांकन मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि हम ऐसी लेखा-परीक्षा की योजना बनाएं और इसका निष्पादन इस प्रकार करें ताकि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशियों और प्रकटन का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की, परीक्षा आधार पर, जांच करना शामिल होता है। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत को एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम प्रस्तुत करते हैं कि:

- i. हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, अपनी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;
- ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15(1) में दिए गए अनुसार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं;
- iii. हमारे मत से, जहां तक ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15(2) के अंतर्गत यथाअपेक्षित उचित लेखा बहियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को बनाए रखा है।
- iv. हम यह भी प्रस्तुत करते हैं कि:

## क. तुलन-पत्र

### क.1 आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पण (अनुसूची 19)

सेबी के साथ वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) का विलय करके प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 में यथा आवश्यक संशोधन केंद्रीय सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2015 को किया गया था, विलय के बाद, सेबी ने कॉमोडिटी डेसिगनेटिव बाजार का विनियमन शुरू कर दिया है और साथ ही एफएमसी की आस्तियों और एफएमसी के 15 कर्मचारियों को अपने अधिकारक्षेत्र में शामिल कर लिया है।

तथापि, सेबी में एफएमसी के विलय की महत्वपूर्ण घटना के बारे में, विलय की रूपरेखाओं अर्थात् सेबी में एफएमसी के कर्मचारियों को शामिल करना, सेबी के वित्त पर ऐसे समावेश (यदि कोई हो) के प्रभाव, विलय के बाद अधिग्रहण की गई आस्तियों के ब्यौरे, आदि का सेबी के 'लेखा टिप्पण' में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

# **Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Securities and Exchange Board of India (SEBI) for the year ended 31 March 2016.**

We have audited the attached Balance Sheet of Securities and Exchange Board of India (SEBI) for the year ended 31 March 2016 and the Income and Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 15(2) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. These financial statements are the responsibility of the management of SEBI. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc.. if any, are reported through Inspection Reports / CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance as stated under Section 15(1) of the Securities and Exchange Board of India Act 1992;
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Securities and Exchange Board of India as required under Section 15(2) of the Securities and Exchange Board of India Act 1992 in so far as it appears from our examination of such books;
- iv. We further report that:

## **A. Balance Sheet**

### **A.I Contingent liabilities and Notes to Accounts (Schedule 19)**

The merger of Forward Markets Commission (FMC) with SEBI was formalised by the Central Government on 28 September 2015, with due amendments to the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (SCRA) and Forward Contracts (Regulation) Act, 1952. Subsequent to merger, SEBI has started regulating commodity derivatives market as well, has taken over assets of FMC and also absorbed 15 employees of FMC.

However, there is no mention about the significant event of merger of FMC into SEBI, the modalities of merger viz. absorption of employees of FMC in SEBI, the implications of such absorption (if any) on the Financials of SEBI, the details of assets taken over subsequent to merger etc. in the 'Notes to accounts' of SEBI.

## ख. आय और व्यय लेखा

### ख.1 आय-शुल्क/अभिदान-391.15 करोड़ रुपये

उक्त धनराशि 1.66 करोड़ रुपये (अनुबंध-1) अधिक दर्शाया गया, जो 2015-16 के दौरान प्रोद्घवन आधार पर अधिक आय की दर्ज के कारण हैं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से उनके नामोदिष्ट निक्षेपागार भागीदारों (डीडीपी) के जरिए सेबी से वसूली योग्य शुल्कों को दर्शाता है। यह दरअसल अप्रैल 2016 में/इसके बाद प्रारंभ हो रही अवधि में पंजीकरण/नवीकरण शुल्क से संबंधित हैं। यह राजस्व निर्धारण पर घोषित लेखाकरण नीति के उल्लंघन में है (अनुसूची 18 की पैराग्राफ सं. 3) जिसमें वर्णन है कि सभी मध्यवर्तियों से प्राप्त पंजीकरण/नवीकरण शुल्क पंजीकरण/नवीकरण के पहले वर्ष में लेखाबद्ध किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप आय शुल्क/अभिदान और 'विविध देनदार (अन्य)' के लिए 1.66 करोड़ रुपये अधिक दर्ज हो गया है।

### ख. 2 अर्जित ब्याज (अनुसूची 12) 17.05 करोड़ रुपये

सेबी ने अपने द्वारा स्थापित सार्वजनिक न्यास राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) को वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि में पूंजी अग्रिम के रूप में 222.83 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम तौर पर दी है ताकि पट्टा आधार पर एनआईएसएम द्वारा इसका उपयोग करने के लिए पातालगंगा में एक कैम्पस बनाने की लागत उपलब्ध हो सके (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 19) इन अग्रिम धनराशियों पर 2.17 करोड़ रुपये का ब्याज हुआ है, जिस पर एनआईएसएम द्वारा सेबी से प्राप्त पूंजी अग्रिम के हिस्से के रूप में विचार किया गया है। यह अर्जित ब्याज सेबी द्वारा अपनी बहियों में दर्ज नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप 'अर्जित ब्याज', 'एनआईएसएम' हेतु पूंजी अधिक और 'अधिशेष' में 2.17 करोड़ रुपये का न्यून ब्यौरा दर्ज हो गया है।

### ग. प्रबंधन पत्र:

लेखा-परीक्षा में शामिल नहीं की गई कमियां उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक रूप जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से सेबी के ध्यान में लाई गई हैं।

पूर्ववर्ती पैराग्राफों में, अपने अभिमतों के अध्यधीन, हम प्रस्तुत करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र और आय तथा व्यय खाते लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

हमारे मत से और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पठित कथित वित्तीय विवरण और उक्त महत्वपूर्ण मामलों के अध्यधीन हैं और इस लेखा-परीक्षा के अनुबंध-1 में उल्लिखित अन्य मामले भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं:

क. जहां तक इसका संबंध 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्य की स्थिति संबंधी तुलनपत्र से है; और

ख. जहां तक इसका संबंध उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की तुलना में अधिक आय के आय-व्यय संबंधी लेखे से है।

कृते और ओर से  
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

ह./-

(रूप राशि)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं  
पूर्व पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1, मुंबई

स्थान : मुंबई

तारीख : 10 अक्टूबर, 2016

अस्वीकरण - पृथक लेखापरीक्षा के हिंदी अनुवाद में यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में जारी प्रतिवेदन मान्य होगा।



## **B. Income and Expenditure account**

### **B.1 Income- Fees/Subscriptions- Rs.391.15 crore**

The above is overstated by Rs. 1.66 crore (Annexure 1), being excess booking of income on accrual basis during 2015-16, representing fees realizable by SEBI from foreign portfolio investors through their Designated Depository Participants (DDPs), which actually pertains to registration / renewal fees for the periods commencing in/after April 2016. This is in contravention of the declared accounting policy on Revenue recognition (Paragraph no.3 of Schedule 18) which states that registration/renewal fees received from all intermediaries are accounted in the first year of registration/ renewal. This has resulted in overstatement of 'Income-Fees/subscriptions', and 'Sundry debtors (others)' by Rs. 1.66 crore.

### **B.2 Interest earned (Schedule 12 ) Rs. 17.05 crore**

SEBI has advanced a sum of Rs.222.83 crore as capital advances to the National Institute of Securities Markets (NISM)- a Public Trust established by it, during the years 2013-14 to 2015-16, towards cost of building a campus at Patalganga, for use by NISM on lease basis (Notes no.19 of Schedule 19). The interest earned on these advances amounting to Rs.2.17 crore, which has been considered as a part of the capital advances from SEBI by NISM, has not been accounted for by SEBI in its books, resulting in understatement of "Interest Earned", 'Capital Advances to NISM' and 'Surplus' by Rs.2.17 crore.

## **C. Management letter**

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of SEBI through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- a. In so far as it relates to Balance sheet, of the state of affairs of the Securities and Exchange Board of India as at 31st March 2016; and
- b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the Excess of Income over Expenditure, for the year ended on that date.

**For and on behalf of the  
Comptroller & Auditor General of India**

Sd/-

**(Roop Rashi)**

Principal Director of Commercial Audit and  
ex-officio Member Audit Board-I, Mumbai

**Place:** Mumbai

**Date:** 10 October 2016

## अनुबंध - I

**1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

सेबी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है। सेबी मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में वर्ष 2015-16 की आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी कर ली गई है।

**2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सामान्य रूप से पर्याप्त है।

**3. अचल आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

वर्ष 2014-15 के लिए अचल आस्तियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है।

**4. वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

वर्ष 2015-16 की वस्तु सूची जैसे कि बहियां और प्रकाशन, पत्र लेखन सामग्री और अन्य उपभोज्य वस्तुओं का भंडार के भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है।

**5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान की नियमितता**

सेबी सांविधिक देनदारियों का नियमित रूप से भुगतान/टीडीएस का विप्रेषण करता है।

ह./-

उप-निदेशक

स्थान : मुंबई

तारीख : 10 अक्टूबर, 2016

## **Annexure-I**

**1. Adequacy of the internal audit system**

The internal audit system in SEBI is adequate. Internal Audit for the year 2015-16 in respect of SEBI HQ and Various Regional offices has been completed.

**2. Adequacy of the internal control system**

Internal control system is in general adequate.

**3. System of Physical verification of fixed assets**

The physical verification of the fixed assets is complete for the years up to 2014-15.

**4. System of Physical verification of inventory**

The physical verification of Inventory like books and publication, stock of paper, stationery and other consumables has been carried out for the year 2015-16.

**5. Regularity in payment of statutory dues**

SEBI is regular in payment of statutory dues / remitting TDS.

Sd/-  
**Deputy Director**

**Place:** Mumbai

**Dated:** 10 October 2016

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र**  
**BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2016 को As at 31-MAR-2016	31 मार्च 2015 को As at 31-MAR-2015
<b>कॉर्पस/पूँजी निधि और देयताएँ/CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</b>			
कॉर्पस/पूँजी निधि / Corpus / Capital Fund	1	2,821.83	2,465.65
आरक्षितियाँ और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	—	—
उद्दिष्ट निधियाँ / Earmarked Funds	3	112.77	72.98
जमानती / गैर-जमानती ऋण और उधार / Secured / Unsecured Loans and Borrowings	4	—	—
चालू देयताएँ और प्रावधान / Current Liabilities and Provisions	5	210.41	158.06
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>3,145.01</b>	<b>2,696.69</b>
<b>आस्तियाँ / ASSETS</b>			
अचल आस्तियाँ / Fixed Assets	6	341.43	296.57
निवेश – उद्दिष्ट निधियों से/ Investments – From Earmarked Funds	7	111.15	75.08
निवेश – अन्य / Investments – Others	8	1,705.00	1,724.00
चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम / Current Assets, Loans and Advances	9	987.43	601.04
विविध व्यय / Miscellaneous Expenditure		—	—
(जहाँ तक बट्टे खाते न डाले गए हों या समायोजित न किए गए हों) (to the extent not writtern off or adjusted)			
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>3,145.01</b>	<b>2,696.69</b>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ/Significant Accounting Policies	18		
आकस्मिक देयताएँ और लेखों संबंधी टिप्पणियाँ / Contingent Liabilities and Notes to Accounts	19		

ह/-/Sd/-  
**बर्नाली मुखर्जी/BARNALI MUKHERJEE**  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

कृते भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  
For **SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

स्थान/Place : मुंबई/Mumbai  
तारीख/Date : 17.06.2016

ह/-/Sd/-  
**एस. रवीन्द्रन/S. RAVINDRAN**  
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

ह/-/Sd/-  
**यू.के. सिन्हा/U.K. SINHA**  
अध्यक्ष/CHAIRMAN

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा**  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2015
<b>आय / INCOME</b>			
फीस/अभिदान / Fees/ Subscriptions	10	391.15	323.01
निवेशों से आय / Income from Investments	11	186.14	171.26
अर्जित ब्याज / Interest Earned	12	17.05	10.58
अन्य आय / Other Income	13	7.33	8.32
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>601.67</b>	<b>513.17</b>
<b>व्यय / EXPENDITURE</b>			
स्थापना व्यय / Establishment Expenses	14	264.00	158.09
अन्य प्रशासनिक व्यय / Other Administrative Expenses	15	77.79	58.70
ब्याज / Interest	16	0.25	-
मूल्यहास और क्रमिक अपाकरण / Depreciation And Amortisation		31.84	29.51
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>		<b>373.88</b>	<b>246.30</b>
<b>शेष - व्यय से आय के आधिक्य के रूप में (क - ख) / BALANCE BEING EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE (A-B)</b>		<b>227.79</b>	<b>266.87</b>
<b>असाधारण आय/(व्यय)/EXTRA-ORDINARY INCOME/(EXPENDITURE)</b>		137.15	(50.00)
राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की पातालगंगा परियोजना के निर्माण के प्रति अंशदान/ Contribution towards construction of Patalganaga project of NISM (अनुसूची 19 का टिप्पण सं. 28 देखें)/(Refer Note no 28 of Schedule 19)			
जोड़ें/(घटाएँ) : पूर्व अवधि समायोजन / Add/(Less):Prior Period Adjustment	17	(8.75)	(13.37)
<b>शेष - अधिशेष के रूप में आगे ले जाए गए / BALANCE BEING SURPLUS CARRIED FORWARD</b>		<b>356.19</b>	<b>203.50</b>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	18		
आकस्मिक देयताएँ और लेखों संबंधी टिप्पणियाँ / Contingent Liabilities And Notes To Accounts	19		

ह/-/Sd/-

**बर्नाली मुखर्जी / BARNALI MUKHERJEE**  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

कृते भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

For **SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

ह/-/Sd/-

स्थान/Place : मुंबई/Mumbai  
तारीख/Date : 17-06-2016

**एस. रवीन्द्रन / S. RAVINDRAN**  
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

ह/-/Sd/-

**यू.के. सिन्हा / U.K. SINHA**  
अध्यक्ष/CHAIRMAN

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**  
(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	प्राप्तियाँ RECEIPTS	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2015
I.	<b>प्रारंभिक शेष / Opening Balance</b> नकदी शेष/उगाही संबद्ध चेक / Cash/Cheques in hand	2.65	0.07
	<b>बैंक में शेष / Bank Balances</b> बैंक शेष से अधिक निकाली गई राशि / Overdrawn Bank balances	—	—
	चालू/बचत खातों में / in Current/Saving accounts	74.05	68.89
II.	<b>निम्नलिखित से निवेश पर आय / Income on Investment from</b> उद्दिष्ट निधि - आईपीईएफ / Earmarked Fund-IPEF	6.16	1.46
	उद्दिष्ट निधि - प्रत्यर्पण / Earmarked Fund-Disgorgement	3.74	0.52
III.	<b>प्राप्त ब्याज / Interest Received</b> जमा राशियों पर / On deposits	28.31	63.95
	ऋण, अग्रिम आदि / Loans, Advances etc	0.81	0.91
	अन्य ब्याज / Other Interest	10.43	4.66
IV.	<b>अन्य आय / Other Income</b> रजिस्ट्रार फीस / Registration Fees	164.26	137.95
	वार्षिक फीस / Annual fees	67.97	23.10
	आवेदन फीस / Application Fees	18.91	7.61
	नवीकरण फीस / Renewal fees	35.67	21.36
	प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने हेतु फीस / Filing Fees for offer documents	73.04	74.88
	अधिग्रहण (टेकओवर) फीस (अप्रयोज्यता एवं आवेदन) / Takeover Fees (Non applicability & Application)	4.73	4.22
	सूचीबद्धता फीस अंशदान / Listing Fees Contributions	15.13	11.77
	अनौपचारिक मार्गदर्शन स्कीम/सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत फीस / Fees under Informal Guidance Scheme / RTI Act	0.07	0.06
V	<b>कोई अन्य प्राप्ति / Any other receipts</b> विविध आय / Miscellaneous Income	0.52	0.78
	भारत सरकार को देय शास्तियों-न्यायनिर्णयन / Penalties Remittable to Government of India-Adjudication	10.74	12.59
	निवेश सीमा (एफ आई आई) के आबंटन हेतु बोली फीस - देय / Bidding Fees for Allocation of Investment Limit (FII) remittable	164.47	107.13
	भारत सरकार को देय शास्तियों - निपटान/शमन संबंधी प्रभार / Penalties Remittable to Government of India-Settlement/Compounding charges	4.27	2.63
	भारत सरकार को देय शास्तियों पर प्राप्त ब्याज - निपटान / Interest Recd on Penalties Remittable to Government of India-Settlement	1.52	1.32
	न्यायनिर्णायक अधिकारी (एओ) द्वारा लगाई गई शास्तियों की जो रकम सावधि जमाओं (फिक्सड डिपॉजिट) में रखी गई, उस पर प्राप्त ब्याज	1.07	—
	वसूली कार्यवाहियाँ-प्रत्यर्पण / Recovery Proceedings-Disgorgement	12.50	12.36
	न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्तियाँ - प्रतिधारित/सावधि जमाओं में निवेश AO Penalties Retained / Invested in Fixed Deposit	—	13.43
	पट्टा किराए / Lease Rentals	6.82	7.84
	आस्तियों की बिक्री / Sale of Assets	0.20	0.12
	विविध लेनदार / Sundry Creditors	6.94	—
	जमा राशियाँ - विविध पक्षकार और परिसर / Deposits - Sundry Parties and Premises	18.21	—
	जमा राशियाँ - विविध पक्षकार और परिसर निम्नलिखित हेतु प्राप्त निधि / Deposit Sundry Parties and Premises funds received towards -		
	आईपीईएफ / Investor Protection Education Fund	59.02	38.59
	प्रत्यर्पण निधि / Disgorgement Fund	—	6.72
	<b>कुल / TOTAL</b>	<b>792.21</b>	<b>624.92</b>

ह/-/Sd/-

**बर्नाली मुखर्जी / BARNALI MUKHERJEE**

मुख्य वित्तीय अधिकारी  
**CHIEF FINANCIAL OFFICER**

स्थान / Place : मुंबई / Mumbai  
तारीख / Date : 17.06.2016

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**  
(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	भुगतान PAYMENTS	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2015
I.	<b>व्यय / Expenses</b> स्थापना व्यय / Establishment Expenses	166.53	149.69
	प्रशासनिक व्यय / Administrative Expenses	95.25	50.75
	ब्याज / Interest	0.25	—
	आईपीईएफ व्यय / IPEF Expenses	7.99	26.42
II.	<b>किए गए निवेश और जमाएँ / Investments and Deposits Made</b> अपनी निधियों में से (निवेश-अन्य) / Out of own Funds (Investment -Others)	(19.00)	92.00
	उद्दिष्ट निधियों में से / Out of Earmarked Funds	36.07	28.96
	एलआईसी के पास जमा - उपदान एवं छुट्टियों के नकदीकरण हेतु / Deposit with LIC for Gratuity & Leave Encashment	7.24	9.07
	निवेश - न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्तियाँ (आस्तियाँ) Deposit - AO Penalties (Asset)	1.07	12.55
III.	<b>अचल आस्तियों एवं पूँजीगत कार्य प्रक्रियाधीन संबंधी व्यय</b> <b>Expenditure on Fixed Assets &amp; Capital Work-in-Progress</b> अचल आस्तियों की खरीद / Purchase of Fixed Assets	46.43	17.01
	पूँजीगत कार्य प्रक्रियाधीन संबंधी व्यय / Expenditure on Capital Work in Progress	39.03	19.41
IV.	<b>राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) को पूँजीगत अग्रिम /</b> <b>Capital Advance to National Institute of Securities Market (NISM)</b>	135.68	—
V.	<b>अन्य भुगतान / Other Payments</b> स्टाफ ऋण (शुद्ध) / Staff Loan (Net)	5.26	11.19
	भारत सरकार को भेजी गई शास्तियाँ - न्यायनिर्णयन / Penalties Remitted to Government of India-Adjudication	10.74	12.59
	निवेश सीमा (एफ आई आई) के आबंटन हेतु बोली फीस Bidding Fees for Allocation of Investment Limit (FIL) remitted	164.47	107.13
	जमाराशियाँ - विविध पक्षकार और परिसर / Deposits - Sundry Parties and Premises	—	10.40
	प्रत्यर्पण निधि - निवेशकों को पुनः आबंटित / Disgorgement Fund - Re-allocated to Investors	19.00	—
	प्रत्यर्पण निधि-पुनः आबंटन व्यय / Disgorgement Fund - Re-allocation expenses	0.18	—
	अग्रिमों का भुगतान / Payment of Advances	0.69	0.87
	विविध लेनदार / Sundry Creditors	—	0.18
VI.	<b>अंतिम शेष / Closing Balances</b> नकदी / उगाही संबद्ध चेक / Cash/Cheques in hand	0.77	2.65
	<b>बैंक में शेष / Bank Balances</b> बैंक शेष से अधिक निकाली गई राशि / Overdrawn Bank balances	—	—
	चालू/बचत खातों में / In Current/Saving accounts	74.56	74.05
	<b>कुल / TOTAL</b>	<b>792.21</b>	<b>624.92</b>

कृते भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  
For SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

ह/-/Sd/-  
**एस. रवीन्द्रन / S. RAVINDRAN**  
कार्यपालक निदेशक / EXECUTIVE DIRECTOR

ह/-/Sd/-  
**यू.के. सिन्हा / U.K. SINHA**  
अध्यक्ष / CHAIRMAN

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**  
(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को As at 31 March, 2016		31 मार्च 2015 को As at 31 March, 2015	
<b>अनुसूची 1 / SCHEDULE 1</b>				
<b>कॉर्पस/पूँजी निधि / CORPUS/ CAPITAL FUND</b>				
<b>कॉर्पस निधि / Corpus Fund</b>				
वर्ष के आरंभ में शेष / Balance as at the beginning of the year	7.50		7.50	
जोड़ें : कॉर्पस निधि हेतु योगदान/ Add : Contributions towards Corpus Fund	—		—	
वर्ष के अंत में शेष / Balance as at the year end		7.50		7.50
<b>भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की साधारण निधि / SEBI' General Fund</b>				
अवधि के आरंभ में शेष / Balance as at the beginning of the period	2,458.15		2,254.65	
जोड़ें/(घटाएँ) : निवल आय/(व्यय) का शेष-आय-व्यय लेखे से अंतरित Add/ (Deduct) : Balance of net Income / (expenditure) transferred from Income & Expenditure Account	356.18		203.50	
वर्ष के अंत में शेष / Balance as at the year end		2,814.33		2,458.15
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>2,821.83</b>		<b>2,465.65</b>
<b>अनुसूची 2 / SCHEDULE 2</b>				
<b>आरक्षित तथा अधिशेष/ RESERVE AND SURPLUS</b>				
<b>ऋण-शोधन निधि / Sinking Fund</b>				
पिछले लेखे के अनुसार / As per last Account	—		—	
जोड़ें : उद्दिष्ट निवेश से आय / Add: Income from Earmarked Investment	—		—	
	—		—	
घटाएँ : आय-व्यय लेखे में अंतरण / Less: Transfer to Income & Expenditure Account	—		—	
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>—</b>		<b>—</b>



**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**  
(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को As at 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को As at 31 March, 2015
<b>अनुसूची 3 / SCHEDULE 3</b>		
<b>उद्दिष्ट निधियाँ / EARMARKED FUNDS</b>		
<b>क) निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि :</b>		
<b>A) Investor Protection &amp; Education Fund:</b>		
प्रारंभिक शेष (क) / Opening Balance (A)	50.29	34.44
निधि में जमा / Additions to the Fund		
निवेशों से आय (अनुसूची 11) / Income from Investments (Schedule 11)	8.31	3.68
अन्य प्राप्तियाँ / Other Receipts	59.02	38.59
<b>कुल (ख) / Total (B)</b>	<b>67.33</b>	<b>42.27</b>
<b>निधि का उपयोग / Utilisation of Fund</b>		
आईपीईएफ निधि से किए गए व्यय (ग) Expenses incurred from IPEF Fund (C)	9.94	26.42
<b>निवल शेष (क+ख-ग) / Net Balance (A+B-C)</b>	<b>107.68</b>	<b>50.29</b>
<b>ख) प्रत्यर्पण निधि /</b>		
<b>B) Disgorgement Fund</b>		
प्रारंभिक शेष (क) / Opening Balance (A)	22.69	14.31
निधि में जमा / Additions to the Fund		
निवेशों से आय (अनुसूची 11) / Income from Investments (Schedule 11)	1.58	1.66
अन्य प्राप्तियाँ / Other Receipts	—	6.72
<b>कुल (ख) / Total (B)</b>	<b>1.58</b>	<b>8.38</b>
<b>निधि का उपयोग / Utilisation of Fund</b>		
निवेशकों को पुनः आबंटित राशि / Amount re-allocated to Investors	19.00	—
पुनःआबंटन व्यय / Re-allocation Expenses	0.18	—
<b>कुल (ग) / Total (C)</b>	<b>19.18</b>	<b>—</b>
<b>निवल शेष (क+ख-ग) / Net Balance (A+B-C)</b>	<b>5.09</b>	<b>22.69</b>
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>112.77</b>	<b>72.98</b>
<b>अनुसूची 4 / SCHEDULE 4</b>		
<b>जमानती / गैर-जमानती ऋण और उधार :</b>		
<b>SECURED / UNSECURED LOANS AND BORROWINGS :</b>	—	—
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**  
(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS		31 मार्च 2016 को As at 31 March, 2016		31 मार्च 2015 को As at 31 March, 2015	
<b>अनुसूची 5 / SCHEDULE 5</b>					
<b>चालू देयताएँ और प्रावधान</b>					
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>					
<b>क</b>	<b>चालू देयताएँ /</b>				
<b>A</b>	<b>CURRENT LIABILITIES</b>				
1	विविध लेनदार / Sundry Creditors				
	क) पूँजी हेतु / For Capital	—		—	
	ख) अन्य / Others	32.58		34.58	
			32.58		34.58
2	प्राप्त अग्रिम / Advance Received		0.04		0.03
3	कानूनी देयताएँ / Statutory Liabilities				
	क) अतिदेय / Overdue	—		—	
	ख) अन्य / others	7.01		5.37	
			7.01		5.37
4	अन्य चालू देयताएँ / Other Current Liabilities :				
	क) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसरण में जमाराशियाँ				
	a) Deposits pursuant to SAT Order	7.64		6.98	
	घटाएँ : सावधि जमाओं में राशि				
	Less : Amount in Fixed Deposits	7.41		6.75	
	(अनुसूची 19 का टिप्पण सं. 17 देखें)				
	(Refer Note no.16 of Schedule 19)				
			0.23		0.23
	ख) गोल्डन फॉरेस्टस् (इं) लि. (निजी रिसीवर)				
	b) Golden Forest (I) Ltd. (Private Receiver)	0.38		0.37	
	घटाएँ : बैंक में पड़ी राशि				
	Less : Amount lying in Bank	0.38		0.37	
	(अनुसूची 19 का टिप्पण सं. 18 देखें)				
	(Refer Note no. 17 of Schedule 19)				
			—		—
	ग) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्तियाँ – प्रतिधारित/सावधि जमाओं में निवेश				
	c) AO Penalties Retained/ Invested in Fixed Deposit	26.45		24.79	
	घटाएँ : सावधि जमा – न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्तियाँ (आस्ति)				
	Less : Fixed Deposit- AO Penalties (Asset)	14.21		12.55	
			12.24		12.24

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**  
(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS		31 मार्च 2016 को As at 31 March, 2016		31 मार्च 2015 को As at 31 March, 2015	
घ) निपटान प्रभार (एसबीआई खाता) d) Settlement Charges (SBI A/C) (अनुसूची 19 का टिप्पण सं. 12 देखें) (Refer Note no. 14 of Schedule 19)			29.39		23.60
ङ) राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) को देय कॉर्पस अंशदान e) Corpus contribution payable to National Institute of Securities Market (NISM)			—		50.00
च) चालू बचत खातों में पड़ी राशि से ज्यादा निकाली गई राशि f) Overdrawn Bank balances In Current/Savings Accounts			—		—
छ) अन्य देयताएँ g) Other Liabilities			36.34		23.82
<b>कुल (क) / TOTAL (A )</b>			<b>117.83</b>		<b>149.87</b>
<b>ख प्रावधान</b> <b>B PROVISIONS</b>					
<b>1. प्रतिनियुक्त व्यक्तियों हेतु प्रावधान</b> <b>PROVISION FOR DEPUTATIONIST:</b>					
— पेंशन हेतु / towards Pension		0.11		0.12	
— छुट्टी वेतन अंशदान हेतु towards Leave Salary Contribution		0.11		0.12	
			0.22		0.24
<b>2. कर्मचारी प्रसुविधाओं हेतु प्रावधान</b> (अनुसूची 19 का टिप्पण सं. 7 देखें) <b>PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS</b> (Refer Note No. 7 of Schedule 19 )					
<b>उपदान / Gratuity</b> प्रसुविधा बाध्यता का वर्तमान मूल्य Present value of Benefit Obligation		47.94		35.93	
घटाएँ : योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) का उचित मूल्य Less : Fair value of plan assets		42.85		35.02	
घटाएँ : गैर-अभिज्ञात पूर्व सेवा लागत Less : Unrecognised past service cost		—		—	
			5.09		0.91

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**  
(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को As at 31 March, 2016		31 मार्च 2015 को As at 31 March, 2015	
<b>छुट्टियों का नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना)</b> <b>Leave Encashment</b>				
प्रसुविधा बाध्यता का वर्तमान मूल्य Present value of Benefit Obligation	49.02		42.26	
घटाएँ : योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) का उचित मूल्य Less : Fair value of plan assets	46.87		40.88	
		2.15		1.38
बकाया वेतन के लिए प्रावधान Provision for Salary arrears (अनुसूची 19 का टिप्पण सं. 23 देखें) (Refer Note No. 23 of Schedule 19 )	75.00		—	
भविष्य निधि / Provident Fund	5.04		1.21	
चिकित्सा सहायता निधि Medical Asst Fund	3.06		2.67	
पुस्तक अनुदान / Book Grant	0.29		0.31	
चिकित्सा फायदे / Medical Benefits	1.73		1.47	
		85.12		5.66
<b>कुल (ख) / TOTAL (B )</b>		<b>92.58</b>		<b>8.19</b>
<b>कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)</b>		<b>210.41</b>		<b>158.06</b>

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**  
**31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूची**  
**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

**अनुसूची 6 : अचल आस्तियाँ**  
**SCHEDULE 6 : FIXED ASSETS**

(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण / DESCRIPTION	सकल ब्लॉक / GROSS BLOCK				मूल्यहास / DEPRECIATION			निवल ब्लॉक / NET BLOCK	
	वर्ष की शुरुआत में लागत / मूल्यांकन Cost/Valuation as at Beginning of the Year	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन Cost/Valuation at the Period End	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन Cost/Valuation at the Period End	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन Cost/Valuation at the Period End	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन Cost/Valuation at the Period End	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन Cost/Valuation at the Period End	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन Cost/Valuation at the Period End	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन Cost/Valuation at the Period End	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन Cost/Valuation at the Period End
1 <b>मूर्त आस्तियाँ / TANGIBLE ASSETS</b>									
भूमि / LAND									
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि / Freehold Land	42.25	42.25	42.25	42.25	42.25	42.25	42.25	42.25	42.25
पट्टेवाली भूमि / Leasehold Land	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58
2 <b>भवन / BUILDINGS :</b>									
क) पट्टेवाली भूमि संबंधी / On Leasehold Land									
कार्यालय परिसर / Office premises	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72
रिहायशी भवन / Residential Buildings	65.78	65.78	65.78	65.78	65.78	65.78	65.78	65.78	65.78
ख) स्वामित्व आधार वाले फ्लैट/परिसर									
Ownership Flat/ Premises									
कार्यालय परिसर / Office Premises	65.82	65.82	65.82	65.82	65.82	65.82	65.82	65.82	65.82
रिहायशी फ्लैट / Residential Flats	55.98	55.98	55.98	55.98	55.98	55.98	55.98	55.98	55.98
3 <b>वाहन / VEHICLES</b>	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59
4 <b>फर्नीचर और जुड़नार / FURNITURE &amp; FIXTURES</b>	29.57	29.57	29.57	29.57	29.57	29.57	29.57	29.57	29.57
5 <b>कार्यालय उपकरण / OFFICE EQUIPMENTS</b>	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42
6 <b>कंप्यूटर / सहायक उपकरण / COMPUTERS/PERIPHERALS</b>									
कंप्यूटर/सहायक उपकरण /									
COMPUTERS/PERIPHERALS	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73
सॉफ्टवेयर / SOFTWARE	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
7 <b>विजली की फिटिंग आदि / ELECTRICAL INSTALLATIONS</b>	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05
चालू वर्ष का कुल / TOTAL OF CURRENT YEAR	453.52	453.52	453.52	453.52	453.52	453.52	453.52	453.52	453.52
पिछला वर्ष / PREVIOUS YEAR	421.13	421.13	421.13	421.13	421.13	421.13	421.13	421.13	421.13
पूँजीगत कार्य प्रक्रियाधीन / CAPITAL WORK IN PROGRESS									
कुल / TOTAL									

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को As at 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को As at 31 March, 2015
<b>अनुसूची 7 / SCHEDULE 7</b> <b>उद्दिष्ट निधियों से निवेश</b> <b>INVESTMENTS FROM EARMARKED FUNDS</b>		
<b>क) निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि</b> <b>A) Investor Protection &amp; Education Fund:</b>		
i) अनुसूचित बैंकों में जमा Deposits with Scheduled Banks	103.13	60.99
ii) बचत / चालू खातों में बैंक शेष Bank Balance in Savings/Current Accounts	2.25	2.98
<b>ख) प्रत्यर्पण निधि /</b> <b>B) Disgorgement Fund</b>		
i) अनुसूचित बैंकों में जमा Deposits with Scheduled Banks	—	11.11
<b>ग) वसूली कार्यवाहियाँ</b> <b>C) Recovery proceedings</b>		
i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा Deposits with Scheduled Commercial Bank	5.77	—
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>111.15</b>	<b>75.08</b>
<b>अनुसूची 8 / SCHEDULE 8</b> <b>निवेश - अन्य / INVESTMENTS - OTHERS</b>		
<b>क बॉण्ड</b> <b>A) Bonds</b>	—	50.00
<b>ख) अनुसूचित बैंकों में जमा</b> <b>B) Deposits with Scheduled Banks :</b> (अनुसूची 19 का टिप्पण सं.16(क) देखें) (Refer Note no. 16(a) of Schedule 19)	1,689.00	1,658.00
<b>ग) संस्थाओं में जमा</b> <b>C) Deposits with Institutions</b> (अनुसूची 19 का टिप्पण सं.16(ख) देखें) (Refer Note no. 16(b) of Schedule 19)	16.00	16.00
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>1,705.00</b>	<b>1,724.00</b>

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को As at 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को As at 31 March, 2015
<b>अनुसूची 9 / SCHEDULE 9</b>		
<b>चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि</b>		
<b>CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.</b>		
<b>क चालू आस्तियाँ :</b>		
<b>A CURRENT ASSETS :</b>		
1 विविध देनदार / Sundry Debtors		
क) छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		
Debts Outstanding for a period exceeding six months		
शोध्म माने गए / Considered good	—	—
संदिग्ध माने गए / Considered doubtful	—	—
	—	—
ख) अन्य / Others	74.12	62.76
(अनुसूची 19 का टिप्पण सं. 8 देखें)		
(Refer Note no. 8 of Schedule 19)		
	74.12	62.76
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		
Less : Provision for doubtful debts	—	—
	74.12	62.76
2 नकदी शेष		
(चैकों / ड्राफ्टों तथा अग्रदाय राशि सहित)		
Cash balances in hand	0.77	2.65
(including cheques/drafts and imprest)		
3 बैंक शेष / Bank Balances :		
अनुसूचित बैंकों में / With Scheduled Banks:		
चालू/बचत खातों में /		
In Current/Savings Accounts	74.56	74.05
4 लेखन-सामग्री का स्टॉक / Stock of Stationery	0.06	0.04
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>	<b>149.51</b>	<b>139.50</b>

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**  
(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को As at 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को As at 31 March, 2015
<b>ख ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियाँ</b>		
<b>B LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>		
1 स्टाफ को ऋण / Loans to staff	113.35	108.09
2 वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य रकम - नकदी या वस्तु रूप में या मूल्य एवज में : Advances and other amount recoverable in cash or in kind or for value to be received :		
क) पूँजीगत लेखे पर		
a) On Capital Account	0.09	0.29
ख) पूर्व भुगतान		
b) Prepayments	4.86	2.76
ग) जमाएँ		
c) Deposits		
- परिसरों के लिए / for premises	1.11	1.05
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के अनुसार जमा (डिपॉजिट) / Deposit as per SAT Order	—	—
- अन्य / Others	1.14	1.25
घ) अन्य अग्रिम		
d) Others Advances	7.71	25.26
	14.91	30.61
3 राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान को पूँजीगत अग्रिम (कैपिटल एडवांस) Capital Advance to NISM	222.83	—
4 उपचित आय (देय नहीं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए): Income Accrued (Not due unless otherwise stated) :		
क) उद्दिष्ट निधि से निवेशों पर		
a) On Investments from Earmarked Fund	4.73	4.62
ख) निवेशों पर - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की चिकित्सा सहायता निधि		
b) On Investments-SEBI Medical Asst. Fund	0.36	0.13
ग) निवेशों पर - अन्य		
c) On Investments-others	456.15	298.32
घ) ऋणों तथा अग्रिमों पर		
d) On Loans and Advances	25.59	19.77
	486.83	322.84
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>837.92</b>	<b>461.54</b>
<b>कुल (क+ख) / TOTAL (A+ B)</b>	<b>987.43</b>	<b>601.04</b>



**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूची**  
**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**  
**FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March, 2015
<b>अनुसूची 10 / SCHEDULE 10</b>		
<b>फीस / अभिदान / FEES / SUBSCRIPTIONS</b>		
वार्षिक फीस / अभिदान से आय Income from Annual Fees / Subscriptions	74.61	56.57
<b>अन्य / Others</b>		
स्टॉक एक्सचेंजों से सूचीबद्धता फीस अंशदान Listing fees contribution from Stock Exchanges	15.35	11.76
रजिस्ट्रीकरण फीस / Registration fees	168.77	146.58
नवीकरण फीस / Renewal fees	35.67	21.36
आवेदन फीस / Application fees	18.91	7.61
प्रस्ताव दस्तावेजों हेतु फीस / Fees for offer documents	73.04	74.88
अधिग्रहण फीस / Takeover Fees	4.73	4.22
विविध आय / Miscellaneous Income	0.07	0.03
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>391.15</b>	<b>323.01</b>

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**  
**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूची**  
**SCHEDULE FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR**  
**THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	उद्धि निधि से निवेश - आईपीईएफ Investment from Earmarked Fund-IPEF		उद्धि निधि से निवेश - प्रत्यर्पण Investment from Earmarked Fund - Disorgement		निवेश से आय - अन्य Income from Investment- Others	
	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2015	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2015	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31 March, 2015
अनुसूची 11 / SCHEDULE 11						
निवेशों से आय						
INCOME FROM INVESTMENT						
ब्याज :						
INTEREST :						
बॉण्डों पर / On Bonds	-	-	-	-	0.35	3.73
बैंकों में जमा /						
Deposit with Banks	8.31	3.49	1.58	1.68	184.11	166.20
संस्थाओं में जमा /						
Deposits with Institutions	-	0.19	-	-	1.68	1.33
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>8.31</b>	<b>3.68</b>	<b>1.58</b>	<b>1.68</b>	<b>186.14</b>	<b>171.26</b>

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**  
**FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

(करोड़ ₹ में/₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March, 2015
<b>अनुसूची 12 / SCHEDULE 12</b>		
<b>अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED</b>		
अनुसूचित बैंक में बचत बैंक खाते पर ब्याज / Interest on Savings Bank Accounts with Scheduled Bank	2.52	1.37
कर्मचारियों को ऋणों पर / On Loans to Employees	6.62	6.09
दलालों तथा अन्य से ब्याज Interest from Brokers and Others	7.91	3.12
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>17.05</b>	<b>10.58</b>
<b>अनुसूची 13 / SCHEDULE 13</b>		
<b>अन्य आय / OTHER INCOME</b>		
प्राप्त किराया / Rent received	6.82	7.58
विविध आय / Miscellaneous Income	0.51	0.74
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>7.33</b>	<b>8.32</b>

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**  
**FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

(करोड़ ₹ में/₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March, 2015
<b>अनुसूची 14 / SCHEDULE 14</b>		
<b>स्थापना व्यय / ESTABLISHMENT EXPENSES</b>		
वेतन और मजदूरी / Salaries and Wages	189.37	95.97
भत्ते और बोनस / Allowances and Bonus	35.78	33.51
भविष्य निधि में अंशदान / Contribution to Provident Fund	12.87	9.30
कर्मचारी प्रसुविधाएँ / Employee Benefits		
उपदान / Gratuity	9.11	4.56
छुट्टी का नकदीकरण / Leave encashment	4.53	4.21
स्टाफ कल्याण व्यय / Staff Welfare Expenses	12.34	10.54
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>264.00</b>	<b>158.09</b>

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**  
**FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

(करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March, 2015
<b>अनुसूची 15 / SCHEDULE 15</b>		
<b>अन्य प्रशासनिक व्यय आदि</b> <b>OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</b>		
बिजली तथा ऊर्जा / Electricity and Power	5.90	4.86
जल प्रभार / Water Charges	0.26	0.24
बीमा / Insurance	0.30	0.34
मरम्मत एवं रखरखाव / Repair and maintenance :		
भवन एवं परिसर / Building and Premises	10.90	9.21
फर्नीचर एवं उपस्कर / Furnitures & Equipments	3.89	3.34
किराया, दरें एवं कर / Rent, Rates and Taxes	10.94	9.20
वाहनों को चलाने एवं उनके रखरखाव, यात्रा और सवारी संबंधी Vehicles Running and Maintenance, Travelling and Conveyance	11.27	10.83
डाक व्यय, दूरभाष एवं संचार संबंधी प्रभार Postage, Telephone and Communication Charges	1.66	1.49
मुद्रण एवं लेखन सामग्री / Printing and Stationery	1.32	1.10
संगोष्ठी / कार्यशालाओं संबंधी व्यय / Expenses on Seminar/Workshops	2.32	0.83
भर्ती व्यय / Recruitment Expenses	0.71	0.01
अभिदान संबंधी व्यय / Subscription Expenses	0.55	0.51
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक / Auditors Remuneration	0.04	0.05
निवेशक शिक्षण / शिकायत निवारण व्यय Investor Education/Grievances Redressal Expenses	3.08	1.15
व्यावसायिक एवं विधिक व्यय / Professional & Legal Expenses	11.49	8.97
विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and Publicity	1.98	0.40
अनुसंधान एवं परामर्श फीस / Research and Consultation Fees	2.07	—
बैठक संबंधी व्यय / Meeting Expenses	1.21	0.65
अतिथिगृह संबंधी व्यय / Guest House Expenses	0.58	0.58
सुरक्षाकर्मियों संबंधी व्यय / Security Guards Expenses	4.61	3.08
आस्तियों (असेट्स) की बिक्री से हुई हानि / Loss on sale of Assets	0.10	—
विविध व्यय / Miscellaneous Expenses	2.61	1.86
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>77.79</b>	<b>58.70</b>
<b>अनुसूची 16 / SCHEDULE 16</b>		
<b>ब्याज / INTEREST</b>		
दलालों को लौटाई जाने वाली फीस पर ब्याज Interest on refund to Broker Fees	0.25	—
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>	<b>0.25</b>	<b>—</b>

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**  
**FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

(करोड़ ₹ में/₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March, 2016	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31 March, 2015
<b>अनुसूची 17 / SCHEDULE 17</b>		
<b>पूर्व अवधि समायोजन / PRIOR PERIOD ADJUSTMENT</b>		
<b>आय / INCOME</b>		
सूचीबद्धता फीस अंशदान – स्टॉक एक्सचेंज Listing Fee Contribution Stock Exchanges	–	(0.28)
रजिस्ट्रीकरण फीस / Registration Fees	(0.02)	(0.06)
प्राप्त किराया / Regulatory Fees	–	–
प्राप्त विनियामक फीस / Rent Received	–	0.11
विविध – आय / Misc- Income	0.02	0.08
अर्जित ब्याज / Interest Earned	0.00	0.17
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>व्यय / EXPENDITURE</b>		
स्थापना व्यय / Establishment Expenses	(6.04)	(0.17)
मूल्यहास / Depreciation	8.66	9.59
प्रशासनिक व्यय / Administrative Expenses	6.13	3.96
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>8.75</b>	<b>13.38</b>
<b>कुल (क) – (ख) / TOTAL (A) – (B)</b>	<b>(8.75)</b>	<b>(13.37)</b>

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की भागस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULE FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

**अनुसूची - 18 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ**

**SCHEDULE - 18: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''बोर्ड'') भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से अपने वित्तीय विवरण तैयार करता है और लेखों की लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

SEBI ("the Board") prepares its financial statements in the format prescribed by the Government of India in consultation with the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) and the accounts are audited by the C&AG every year.

**महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ : / Significant Accounting Policies:**

बोर्ड के वित्तीय विवरण उन लेखा नीतियों एवं पद्धतियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिनका भारत में सामान्यतः अनुसरण किया जाता है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धान्तों के नाम से जाना जाता है। बोर्ड द्वारा लगातार निम्नलिखित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को अपनाया जा रहा है, जब तक कि अन्यथा कोई उल्लेख न किया गया हो।

The financial statements of the Board are prepared based on accounting policies and practices generally followed in India, which in normal parlance are known as Generally Accepted Accounting Principles (Indian GAAP). The significant accounting policies consistently followed by the Board, unless otherwise stated, are mentioned below:-

**1. लेखा पद्धति / Accounting Convention**

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा-मानकों तथा सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार, उपचय आधार पर परंपरागत लागत पद्धति के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं (जब तक कि अन्यथा कोई उल्लेख न किया जाए)।

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis, in accordance with the applicable accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and generally accepted accounting principles, unless otherwise stated.

**2. प्राक्कलनों का प्रयोग / Use of Estimates**

सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे प्राक्कलन तथा अनुमान लगाए, जो वित्तीय विवरणों में आस्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण सहित), आय एवं व्यय की सूचित रकमों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि, ऐसा माना जाता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने में प्रयोग किए गए प्राक्कलन उचित एवं तर्कसंगत होते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच के अंतर का अभिज्ञान संबद्ध लेखा शीर्ष में आय / व्यय के रूप में किया जाता है, उस अवधि में जिसमें परिणाम ज्ञात / फलीभूत होते हैं।

The preparation of financial statements in conformity with Indian GAAP requires SEBI to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities (including contingent liabilities disclosure), incomes and expenditure in the financial statements. Though it is believed that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable, actual results could differ from these estimates. Differences between actual results and the estimates are recognised as income /expense in the relevant account head, in the period in which the results are known / materialised.

### 3. राजस्व अभिज्ञान (निर्धारण) / Revenue Recognition

- क) आय और व्यय (जिनकी तर्कसंगत निश्चितता है) का अभिज्ञान सामान्यतः उपचय आधार पर किया गया है। सभी मध्यवर्तियों से प्राप्त फीस का अभिज्ञान संबंधित विनियमों में निर्धारित प्रकार से आय के रूप में किया जाता है, जब तक कि अन्यथा कोई उल्लेख न किया गया हो। सभी मध्यवर्तियों से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण फीसों का लेखाजोखा रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण के पहले वर्ष में रखा जाता है, रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण की अवधि की विधिमान्यता पर विचार किए बिना।
- a) Income and Expenditure having reasonable certainty have been generally recognised on accrual basis. Fees from all intermediaries are recognised as income in the manner prescribed in the respective Regulations, unless otherwise stated. Registration / Renewal fees received from all intermediaries are accounted in the first year of registration/renewal, irrespective of the validity of the registration / renewal period.
- ख) प्राथमिक बाजार संबंधी प्रस्ताव दस्तावेजों हेतु दाखिल किए जाने संबंधी (फाइलिंग) फीस का लेखाजोखा प्राप्ति आधार पर आय के रूप में रखा जाता है। निर्गम के आकार में परिवर्तन की वजह से, दाखिल किए जाने के संबंध में जो फीस अधिक हो उसकी धन-वापसी या दाखिल किए जाने के संबंध में जो अतिरिक्त फीस एकत्र की गई हो, उसका लेखाजोखा, जब कभी वह यथास्थिति देय या प्राप्य रूप में निर्धारित हो, रखा जाता है।
- b) Filing fees for Primary Market Offer Documents are accounted as income on receipt basis. Refund of excess filing fees or collection of additional filing fees arising due to change in the size of the issue is accounted as & when determined as payable or receivable, as the case may be.
- ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब-ब्रोकर्स) रेग्यूलेशन्स, 1992 (वर्ष 2006 के दौरान यथा संशोधित) की अनुसूची III क, IV और IV क के तहत नकदी एवं व्युत्पन्नी खंडों (कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स) के दलालों से मिलने वाली फीस का लेखाजोखा उपचय आधार पर किया जाता है।
- c) Fees from brokers of cash & derivative segments under schedule IIIA, IV and IVA of SEBI (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992 as amended during 2006 are accounted on accrual basis.
- घ) उप-दलालों (सब-ब्रोकर्स) से मिलने वाली फीस का लेखाजोखा प्राप्ति आधार पर किया जाता है, क्योंकि मिलने वाली फीस की रकम पहले से तय नहीं होती।
- d) Due to uncertainty about recovery of fees, fees from sub-brokers are accounted on receipt basis.

### 4. निवेश / Investments

दीर्घावधि निवेश लागत पर लिए जाते हैं। हालाँकि, दीर्घावधि निवेशों की प्रचलित राशि में किसी गिरावट (अस्थायी से भिन्न) का अभिज्ञान करने के लिए प्रावधान किया जाता है।

Long term investments are carried at cost. However, provision is made to recognise any decline, other than temporary, in the carrying amount of long term investments.

### 5. अचल आस्तियाँ और मूल्यहास / Fixed Assets and Depreciation

अचल आस्तियों का विवरण उनकी मूल लागत पर दिया जाता है, संचित मूल्यहास को घटाकर और हास, यदि कोई हो, का प्रावधान करके। लागत में शामिल होते हैं – अर्जन तथा निर्माण/संस्थापन में किए गए व्यय और आस्तियों को इनके आशयित उपयोग हेतु कार्यशील अवस्था में लाने के उद्देश्य से किए गए अन्य संबंधित व्यय।

Fixed Assets are stated at their original cost less accumulated depreciation and provision for impairment, if any. The cost includes expenditure incurred in the acquisition and construction/ installation and other related expenses in bringing the assets to working condition for its intended use.



मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नानुसार दिया गया है :

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as under:

आस्तियाँ / Assets	आस्ति का वास्तविक उपयोगिताकाल - 5% अवशिष्ट मूल्य के साथ Effective life of the asset with 5% residual value
भवन, कार्यालय परिसर तथा रिहायशी फ्लैट Buildings, Office Premises and Residential Flats.	29 वर्ष 29 years
कंप्यूटर / सहायक उपकरण, कॉपियर, संचार साधन (फैक्स, मॉडेम, टेलीफोन, आदि) तथा विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय उपकरण Computers / Peripherals, Copiers, Communication devises (Fax, Modems, Telephones, etc.) and Electrical / Electronic Office Instruments.	3 वर्ष 3 years
वाहन, फर्नीचर तथा बिजली की फिटिंग (उदाहरणार्थ पंखे, बत्तियाँ, वातानुकूलक) और सभी मदें जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है Vehicles, Furniture and Electrical Fittings (e.g. Fans, Lights, Air conditioners) and all items not covered above.	5 वर्ष 5 years
पट्टे पर लिए गए परिसरों (कार्यालयों आदि) के नवीकरण (रीनोवेशन) पर हुए व्यय Renovation expenses of leasehold premises	5 वर्ष या पट्टे की अवधि (जो भी कम हो) 5 years or lease period whichever is shorter

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बोर्ड द्वारा मंजूर मूल्यहास की नीति के अनुसार, अचल आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य मूल लागत का 5% (दरों को पूर्णांकित किया जाता है) माना जाता है और तदनुसार अचल आस्तियों का मूल्यहास मूल लागत के 95% (दरों को पूर्णांकित किया गया है) तक होता है।

As per the depreciation policy approved by SEBI Board, the residual value of the fixed assets is considered as 5% (the rates are rounded off) of the original cost and accordingly fixed assets are depreciated up to 95% (the rates are rounded off) of the original cost.

उसी आस्ति (असेट) का पूँजीकरण किया जाता है, जिसकी न्यूनतम लागत ₹ 10,000.00 हो।

Minimum cost of asset shall be of ₹ 10,000.00 for qualifying to be capitalized.

वर्ष के दौरान मौजूदा आस्ति में किसी प्रकार की वृद्धि या विस्तार, जो पूँजीगत स्वरूप का है और जो मौजूदा आस्ति का अभिन्न अंग बन जाता है, का मूल्यहास उस आस्ति के शेष उपयोगिता-काल पर किया जाता है।

Any addition or extension to an existing asset during the year, which is of a capital nature and which becomes an integral part of the existing asset is depreciated over the remaining useful life of that asset.

पूँजीगत कार्य प्रक्रियाधीन के अंतर्गत उन अचल आस्तियों के अर्जन के लिए अदा की गई बकाया अग्रिम राशि सम्मिलित होती है जो रिपोर्टिंग की तारीख को उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार न हों।

Capital work-in-progress comprises outstanding advances paid to acquire fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date.

पट्टे वाली भूमि का क्रमिक अपाकरण इसकी पट्टा अवधि पर किया जाता है।

Leasehold land is amortised over its lease period.

पुस्तकालय की पुस्तकें राजस्व व्यय के रूप में अभिज्ञात होती हैं और जो आय-व्यय लेखे में प्रभावित होती हैं।

Library books are recognised as revenue expenditure and charged to Income and Expenditure Account.

वर्ष के दौरान खरीदी / बेची गई आस्तियों को उतने वास्तविक दिनों हेतु समानुपातिक आधार पर मूल्यहासित किया जाता है, जितने दिन आस्ति का उपयोग किया गया हो ।

Assets purchased / sold during the year are depreciated on a pro-rata basis for the actual number of days the asset has been put to use.

#### 6. अमूर्त आस्तियाँ / Intangible Assets

सॉफ्टवेयर लिए जाने संबंधी लागतें “अमूर्त आस्तियों” के रूप में पूँजीकृत की जाती हैं । सॉफ्टवेयर संबंधी लागतों का क्रमिक अपाकरण तीन वर्ष की अवधि के भीतर सीधी रेखा पद्धति आधार पर किया जाता है ।

Costs relating to acquisition of software are capitalised as “Intangible assets”. Software costs are amortised within a period of three years on straight line method.

#### 7. आस्तियों का हास / Impairment of Assets

प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को हास के संबंध में अचल आस्तियों की समीक्षा की जाती है, यदि हास के संबंध में यह संकेत हो कि आस्ति की प्रचलित राशि वसूल की जा सकने वाली राशि से अधिक हो जाएगी । रखी जाने वाली और इस्तेमाल की जाने वाली आस्तियों की वसूली की संभावना को, आस्ति की प्रचलित राशि और मितिकाटे पर भावी शुद्ध नकदी (रोकड़) प्रवाहों (जो आस्ति से उत्पन्न हो सकते हों) की तुलना करके आंका जाता है । यदि ऐसी आस्तियों के संबंध में हास माना जाता है, तो अभिज्ञात होने वाले हास को उस राशि से आंका जाता है जिससे आस्ति की प्रचलित राशि आस्ति के उचित मूल्य से अधिक हो जाती हो ।

Fixed Assets are reviewed for impairment at each balance sheet date, if there is any indication of impairment that the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

हास के पश्चात्, मूल्यहास का प्रावधान आस्ति के शेष उपयोगिता-काल में आस्ति की संशोधित प्रचलित राशि के आधार पर किया जाता है ।

After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over its remaining useful life.

#### 8. लेखन-सामग्री और स्टॉप का स्टॉक / Stock of Stationeries and Stamps

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को, उपयोग में न लाई गई लेखन-सामग्री का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और उपयोग में न लाए गए स्टॉपों के मूल्य को पूर्वदत्त व्यय में शामिल किया जाता है ।

As at each Balance Sheet date, unutilized stationeries is valued at cost and value of unutilised stamps is included in the prepaid expenses.

#### 9. नकदी और नकदी-तुल्य / Cash and Cash Equivalents

प्राप्ति और भुगतान खाते में नकदी और नकदी-तुल्य के अंतर्गत बैंक में जमा नकदी, हाथ में नकदी और तीन महीनों या उससे कम की मूल परिपक्वता (मैच्युरिटी) अवधि वाले अल्पावधि निवेश सम्मिलित हैं ।

Cash and cash equivalents in the receipt and payment account comprises cash at bank, cash on hand and short term investments with an original maturity of three months or less.

## 10. कर्मचारी प्रसुविधाएँ / Employee Benefits

### क) भविष्य निधि :

भविष्य निधि में बोर्ड के अंशदान और ब्याज की किसी कमी को इस प्रयोजनार्थ स्थापित किए गए न्यास में प्रेषित कर दिया जाता है और जिसे आय-व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है। लेखा मानक 15, कर्मचारी प्रसुविधाएँ (संशोधित 2005) को अमल में लाए जाने के संबंध में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश (गाइडेंस) के अंतर्गत यह उल्लेख है कि ऐसी प्रसुविधाओं को निश्चित प्रसुविधा योजनाएँ माना जाएगा जिनमें नियोक्ता द्वारा बनाई गई भविष्य निधियाँ शामिल हैं, जिनके संबंध में ब्याज संबंधी कमियों को पूरा किया जाना अपेक्षित है। भविष्य निधि के प्रति बोर्ड की देनदारी का प्रावधान वार्षिक आधार पर स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ / हानि वार्षिक आधार पर आय-व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है।

### a) Provident Fund:

The Board's contribution to the Provident Fund and any interest shortfall is remitted to a trust established for this purpose and charged to Income and Expenditure Account. The Guidance on Implementing AS 15, Employee Benefits (revised 2005) issued by Accounting Standards Board of ICAI states that benefits involving employer established provident funds, which require interest shortfalls to be recompensed, are to be considered as Defined Benefit Plans. The Board's liability towards provident fund is provided for based on actuarial valuation carried out by an independent actuary on an annual basis. Actuarial gain / loss are charged to the Income and Expenditure account on an annual basis.

### ख) उपदान (ग्रेच्युटी) तथा प्रतिकारित छुट्टी नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना) :

उपदान (ग्रेच्युटी) तथा प्रतिकारित छुट्टी नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाने) हेतु बोर्ड के दायित्व, जो निश्चित प्रसुविधा योजनाओं के रूप में नियत हैं, का प्रावधान वार्षिक आधार पर स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभों एवं हानियों को वार्षिक आधार पर आय-व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है।

### b) Gratuity and Compensated Leave Encashment:

The Board's liability towards gratuity and compensated leave encashment, being defined benefit plans, are provided for based on actuarial valuation carried out by an independent actuary on an annual basis. Actuarial gains and losses are charged to Income and Expenditure Account on an annual basis.

### ग) अन्य मीयादी कर्मचारी प्रसुविधाएँ :

अन्य मीयादी कर्मचारी प्रसुविधाओं का अभिज्ञान अनडिस्काउंटेड आधार पर प्रत्याशित बाध्यता के आधार पर बोर्ड की स्कीम के अनुसार व्यय के रूप में किया जाता है।

### c) Other Term Employee Benefits:

Other Term Employee Benefits are recognized as an expense as per the Board's scheme based on expected obligation on undiscounted basis.

## 11. विदेशी मुद्रा लेनदेन / Foreign Currency Transactions

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेन लेनदेनों की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा, मौद्रिक मदों का, तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित अंतिम विनिमय दर पर रुपये में सममूल्य राशि के रूप में पुनः व्यक्त किया जाता है। गैर-मौद्रिक मदों को विदेशी मुद्रा में अंकित परंपरागत लागत पर लाया जाता है और उनकी रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करते हुए दी जाती है। मौद्रिक मदों के निपटान / पुनः व्यक्त किए जाने की वजह से आने वाले विनिमय-अंतर का अभिज्ञान आय के रूप में या व्यय के रूप में उस वर्ष में किया जाता है, जिसमें वे हुए हों।

Transactions arising in foreign currencies during the year are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transactions. Foreign currency, monetary items are restated into rupee equivalent at the closing exchange rate prevailing as on Balance Sheet date. Non monetary items are carried at historical cost denominated in a foreign currency and are reported using the exchange rate prevailing on the date of transaction. Exchange differences arising on settlement / restatement of monetary items are recognised as income or as expenses in the year in which they arise.

## 12. पट्टे / Operating Leases

- क) पट्टों के अंतर्गत अर्जित आस्तियाँ उन आस्तियों को दर्शाती हैं जहाँ पट्टाकर्ता उनके स्वामित्व के समस्त जोखिमों तथा फायदों को पर्याप्त रूप में अपने पास ही रखता है। पट्टा भुगतानों का अभिज्ञान पट्टा-अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर आय-व्यय लेखे में व्यय के रूप में किया जाता है।
- a) Assets acquired under operating leases represent assets where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of their ownership. Operating lease payments are recognized as an expense in the Income and Expenditure Account on a straight-line basis over the lease term.
- ख) पट्टों के तहत दी गई आस्तियों को अचल आस्तियों में शामिल किया जाता है। पट्टा आय का अभिज्ञान पट्टा-अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर आय-व्यय लेखे में किया जाता है। लागतों (मूल्यहास सहित) का अभिज्ञान आय-व्यय लेखे में व्यय के रूप में किया जाता है।
- b) Assets given under operating leases are included in Fixed Assets. Lease income is recognized in the Income and Expenditure Account on a straight-line basis over the lease term. Costs including depreciation are recognized as an expense in the Income and Expenditure Account.

## 13. प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएँ / Provisions and Contingent Liabilities

- क) **प्रावधान :** बोर्ड उस प्रावधान को अभिज्ञात करता है, जब किसी पिछली घटना के फलस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो। ऐसी संभावना है कि उस बाध्यता के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में प्रामाणिक अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और उन्हें समायोजित किया जाता है, ताकि वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलन प्रदर्शित हों।
- a) **Provisions:** The Board recognises a provision when there is a present obligation as a result of a past event. There is a probability that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which reliable estimate can be made. Provisions are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.
- ख) **आकस्मिक देयताएँ :** आकस्मिक देयता को तब प्रकट किया जाता है, जब कोई संभव बाध्यता हो या वर्तमान बाध्यता हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्गमन की अपेक्षा हो सकती है, किन्तु संभवतः नहीं होगी।
- उस संभव बाध्यता या वर्तमान बाध्यता के मामले में कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है, जहाँ संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक आस्तियाँ न तो अभिज्ञात की जाती हैं, और न ही प्रकट की जाती हैं।
- b) **Contingent Liabilities:** A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources.

In case of a possible obligation or a present obligation where the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

# भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

अनुसूची - 19: आकस्मिक देयताएँ तथा लेखों संबंधी टिप्पणियाँ

### Schedule - 19: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. आकस्मिक देयताएँ : आकस्मिक देयताओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- 1.1. टीडीएस : काटे गए और भेजे गए टीडीएस के संबंध में आयकर प्राधिकारियों की ओर से ₹ 0.37 करोड़ की राशि के कर की मांग है (पिछले वर्ष : ₹ 0.19 करोड़) । जिसके संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने आयकर आदेशों के सुधार हेतु अपने जवाब / संशोधित रिटर्न दाखिल कर दिए हैं । टीडीएस की मांग का ब्यौरा (वर्ष के अनुसार) नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
मांग (₹ में)	113,050.00	264,630.00	19,450.00	24,150.00	2,422,460.00	204,010.00
वित्तीय वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16			
मांग (₹ में)	263,250.00	7,300.00	380,390.00			

- 1.2. बिक्री कर : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को बिक्रीकर अधिकारी, सर्वे शाखा, मुंबई की ओर से महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2002 (महाराष्ट्र वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट, 2002) की धारा 64 के तहत तारीख 12 अप्रैल, 2012 का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की गई थी । इस संबंध में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 12 मई, 2012 को बिक्रीकर आयुक्त के पास एक आवेदन दाखिल किया था, जिसमें यह स्पष्टीकरण माँगा गया था कि क्या महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को व्यापारी (डीमंड डीलर) समझा जाता है । बिक्रीकर आयुक्त के कार्यालय ने, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2002 की धारा 56 के तहत कार्यवाहियों के आधार पर, तारीख 10 नवम्बर 2014 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक व्यापारी (डीमंड डीलर) है तथा वर्तमान समय से लागू किए जाने संबंधी निवेदन को नामंजूर कर दिया गया । तत्पश्चात्, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने उपरोक्त कार्यवाहियों के खिलाफ बिक्रीकर अधिकरण (सेल्स टैक्स ट्रायब्युनल) के समक्ष अपील दाखिल की है। इस संबंध में सुनवाई 26 जुलाई, 2016 को होगी ।
- 1.3. सेवा कर : सेवा कर विभाग ने तारीख 11 जनवरी, 2013 के अपने पत्र के माध्यम से यह कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई सेवाएँ “नकारात्मक सूची” (नेगेटिव लिस्ट) में नहीं आतीं, इसलिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई सेवाओं (1 जुलाई, 2012 से प्रभावी) के मूल्य पर सेवाकर देनदारी (देयता) शीघ्र चुकाई जाए । हालाँकि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की राय में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर के प्रावधान लागू नहीं होते । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 3 जुलाई 2013, 10 अप्रैल 2014, 8 मई 2014 तथा 11 जून 2014 को सेवा कर आयुक्त के कार्यालय में अपना जवाब दाखिल कर चुका है, जिसके अंतर्गत कार्यवाहियों को बंद करने का निवेदन किया गया है । साथ ही, मंत्रालय को भी तारीख 17 दिसम्बर 2013 का एक पत्र भेजा गया, जिसके अंतर्गत यह निवेदन किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को “नकारात्मक सूची” (नेगेटिव लिस्ट) में शामिल किया जाए । जुलाई 2012 से दिसम्बर 2014 तक एकत्र की गई विभिन्न प्रकार की फीस संबंधी ब्यौरे प्रदान करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को तारीख 9 मार्च 2015 का एक समन जारी किया गया । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने तारीख 30 मार्च 2015 तथा तारीख 13 अप्रैल 2015 के पत्रों के माध्यम से उक्त समन के प्रति अपना जवाब दाखिल किया । इसके अलावा, वित्त मंत्रालय को तारीख 30 अप्रैल 2015 का एक पत्र भेजा गया, जिसके अंतर्गत यह निवेदन किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को “नकारात्मक सूची” (नेगेटिव

लिस्ट) में शामिल किया जाए। इसी बीच, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने तारीख 4 जून 2015 के पत्र के माध्यम से फीस से संबंधित ब्यौरे प्रदान किए जाने संबंधी समन का पालन किया। सेवा कर विभाग के तारीख 7 सितम्बर, 2015 के पत्र के जवाब में, 1 अक्टूबर 2015 को फिर से सेवा कर विभाग को एक पत्र भेजा गया, जिसके अंतर्गत उन्हें फीस / प्राप्तियों का संक्षिप्त ब्यौरा दे दिया गया। 14 अक्टूबर, 2015 और 13 जनवरी, 2016 को माननीय वित्त मंत्री, राजस्व विभाग के सचिव एवं आर्थिक कार्य विभाग के सचिव को पत्र भेजे गए, जिनके अंतर्गत उनसे यह निवेदन किया गया कि वित्त अधिनियम के अध्याय 5 – ‘सेवा कर’ की धारा 66घ (66डी) के तहत छूट प्रदान की जाए और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को “नकारात्मक सूची” (नेगेटिव लिस्ट) में शामिल किया जाए। वित्त बजट 2016-17 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। हालाँकि, यह छूट 1 अप्रैल, 2016 से लागू है। तदनुसार, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा 10 मार्च, 2016 को माननीय वित्त मंत्री, राजस्व विभाग के सचिव एवं आर्थिक कार्य विभाग के सचिव को पत्र लिखा गया, जिसके अंतर्गत उनसे यह निवेदन किया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) का नाम “नकारात्मक सूची” (नेगेटिव लिस्ट) में 1 जुलाई, 2012 से शामिल कर लिया जाए।

- 1.4. **मजदूरी की अदायगी:** ठेकेदार द्वारा तैनात स्टाफ को मजदूरी की अदायगी से संबंधित कानूनी मामलों से जुड़े विवादास्पद दावों को ऋण नहीं माना गया है, और जो माननीय न्यायालयों के अंतिम आदेशों के अध्वधीन हैं। इस संबंध में, न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में कुल ₹ 0.02 करोड़ की राशि न्यायालयों के पास जमा रखी गई है और जिसे “अन्य जमाएँ” के अंतर्गत दर्शाया गया है। (पिछले वर्ष : ₹ 0.02 करोड़)
- 1.5. **नगरपालिका करों की क्षतिपूर्ति :** तारीख 5 मई, 2010 के समझौता करार (सेटलमेंट एग्रीमेंट) के अनुसरण में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने अतिरिक्त नगरपालिका करों के भुगतान हेतु ₹ 0.31 करोड़ की अधिकतम देनदारी के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र का प्रावधान किया है (पिछले वर्ष: ₹ 0.31 करोड़)।
- 1.6. **फीस लौटाए जाने संबंधी दावे :** अपील प्राधिकारी / न्यायालयों के समक्ष फीस के संबंध में चल रहे विभिन्न मामलों के न्यायनिर्णयन के अध्वधीन, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ब्याज दायित्व नियमितीकरण) स्कीम, 2004 के तहत दलालों द्वारा पहले अदा की गई, या उसके बाद, फीस (जो विरोध जताते हुए अदा की गई थी) लौटाए जाने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास दावे आ सकते हैं। हालाँकि, काफी अधिक व्यापारावर्त (टर्न ओवर) तथा फीस संबंधी आँकड़ों और न्यायालय के विभिन्न प्रकार के मामलों की वजह से इनकी गणना नहीं की जा सकती।

**1. Contingent Liabilities:** The details of Contingent Liabilities are as under:

- 1.1 **TDS:** There is a tax demand of ₹ 0.37 crore from Income Tax authorities in respect of TDS deducted and remitted (Previous year: ₹ 0.19 crore). SEBI has filed its response/revised Returns for rectification of IT orders in respect of the same. The year wise break up of TDS demand is as follows:

Financial Year	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Demand In ₹	113,050.00	264,630.00	19,450.00	24,150.00	2,422,460.00	204,010.00
Financial Year	2013-14	2014-15	2015-16			
Demand In ₹	263,250.00	7,300.00	380,390.00			

- 1.2 **Sales Tax:** SEBI had received a Notice dated April 12, 2012 under Section 64 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (MVAT Act, 2002) from the Sales Tax Officer, Survey Branch, Mumbai calling for submission of certain documents. In this regard, SEBI had filed an application on May 12, 2012 with the Commissioner of Sales Tax seeking clarification whether SEBI is a “deemed dealer” under MVAT Act, 2002. The office of the Commissioner of Sales Tax based on the proceedings u/s 56 of MVAT Act 2002 vide letter dated November 10, 2014 has informed that SEBI is a deemed dealer and the request for prospective effect is rejected. SEBI has subsequently filed appeal in Sales Tax Tribunal against the above mentioned proceedings. The hearing in this regard is fixed on July 26, 2016.



1.3 **Service tax:** Service Tax Department vide their letter dated January 11, 2013 has advised that since services rendered by SEBI are not covered under “Negative List”, the service tax liability on the value of services provided by SEBI with effect from July 01, 2012 may be discharged at the earliest. However, in the opinion of SEBI, the services provided by SEBI do not attract the provisions of service tax. SEBI has filed its reply to the office of the Commissioner of service tax vide letters dated July 03, 2013, April 10, 2014, May 08, 2014 and June 11, 2014 requesting for closure of the proceedings. Also, a letter dated December 17, 2013 was sent to the ministry requesting inclusion of SEBI in the ‘Negative List’. A summon dated March 09, 2015 was issued to SEBI to provide details of various fees collected from July 2012 to December 2014. SEBI has filed its reply to the summon vide letters dated March 30, 2015 and April 13, 2015. Further a letter dated April 30, 2015 was sent to the Finance Ministry requesting inclusion of SEBI in the ‘Negative List’. Meanwhile SEBI has complied with the summon to provide fees details vide letter dated June 04, 2015. Again in response to service tax department’s letter dated September 07, 2015, a letter about brief description of fees/receipts has been submitted on October 01, 2015 to service tax department. Letters had been sent to Finance Minister, Secretary of Department of Revenue, Secretary of Department of Economic Affairs on October 14, 2015 and January 13, 2016 requesting for exemption u/s 66D of Chapter V – ‘Service Tax’ of the Finance Act and inclusion of SEBI in the “Negative List”. Exemption has been given for the services of SEBI in the Finance Budget 2016-17. However, this exemption is w.e.f. April 01, 2016. Accordingly, a letter has been written by The Chairman, SEBI to Finance Minister, Secretary of Department of Revenue, Secretary of Department of Economic Affairs on March 10, 2016, to include SEBI’s name in the “Negative List” w.e.f. July 01, 2012.

1.4 **Payment of Wages:** Disputed Claims representing legal cases, regarding payment of wages to staff placed by the contractor are not acknowledged as debts and is subject to the final orders of Hon’ble Courts. In this regard deposits aggregating ₹ 0.02 crore was placed with Courts, pursuant to Court orders and shown under “Other Deposits” (Previous year: ₹ 0.02 crore).

1.5 **Indemnity for Municipal taxes:** Pursuant to Settlement Agreement dated May 05, 2010, SEBI has provided an Indemnity Bond with a maximum liability of ₹ 0.31 crore towards payment of additional municipal taxes (Previous year: ₹ 0.31 crore).

1.6 **Claims for refund of fee:** Subject to adjudication of various fee related matters pending before Appellate Authority/Courts, there may arise claims against SEBI for refund of fees earlier made, under protest, by the brokers under the SEBI (Interest regularization) Scheme 2004 or thereafter. The same, however, cannot be quantified due to voluminous turnover and fee data and different types of court matters.

2. **पूँजीगत प्रतिबद्धता :** पूँजीगत लेखे (कैपिटल एकाउंट) में कॉण्ट्रैक्ट (जो अभी पूरे नहीं हुए) की अनुमानित रकम (अग्रिमों को घटाकर) ₹ 122.10 करोड़ है (जिसके लिए प्रावधान भी नहीं किया गया) (पिछले वर्ष यह रकम ₹ 36.14 करोड़ थी) ।

**Capital Commitment:** Estimated amount of Contracts remaining to be executed on Capital Account (net of advances) and not provided for is ₹ 122.10 crore (Previous Year ₹ 36.14 crore).

3. **करों के लिए प्रावधान :** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 25 के अधीन आय तथा धन पर कर से छूट के मद्देनज़र, लेखों में आय-कर / धन-कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

**Provision for taxes:** In view of the exemption from tax on income and wealth under section 25 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, no provision for Income Tax / Wealth Tax is made in the accounts.

4. **दलालों संबंधी फीस का लेखा-जोखा :** संशोधन से पूर्व अनुसूची III के तहत नकदी खंड (कैश सेगमेंट) के दलालों से तथा अनुसूची IV के तहत व्युत्पन्नी खंड (डेरिवेटिव सेगमेंट) के दलालों से फीस का लेखा-जोखा निम्नलिखित कारणों के मद्देनज़र प्राप्ति आधार पर रखा गया है ।

एक्सचेंजों के नकदी खंडों (कैश सेगमेंट) के दलालों द्वारा देय फीस को लेकर कुछ दलालों ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की फीस लगाने की क्षमता, फीस के आधार, व्यापारावर्त (टर्नओवर) की परिभाषा, संगणना पद्धति के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विरोध जताया है । उच्चतम न्यायालय के फरवरी 2001 के निर्णय (जिसके अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की फीस लगाने की शक्तियों को मान्य ठहराया गया और फीस लगाने के आधार का अनुसमर्थन किया गया) के बावजूद, अब

भी प्रतिभूति अपील्य न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष फीस के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कई मामले चल रहे हैं। तथापि चूक के नियमितीकरण हेतु, स्टॉक दलालों को समर्थ बनाने हेतु, एकबारगी अवसर प्रदान करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने 2004 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ब्याज दायित्व नियमितीकरण) स्कीम आरंभ की। हालाँकि कई दलालों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है और भुगतान किए हैं, तथापि कुछ दलाल न्यायालयों के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। जब तक कि न्यायालयों द्वारा मामलों को पूरी तरह नहीं निपटा दिया जाता, बोर्ड का यह मानना है कि आय को लेखों में उपचित किए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला न्यायाधीन है। आईसीएआई के लेखा-मानक 9 के पैरा 9 (यानि कि - “राजस्व अभिज्ञान पर अनिश्चितताओं का प्रभाव”) के अनुसार, उससे आय निश्चित नहीं है। इसलिए, आय का अभिज्ञान वसूली तक स्थगित कर दिया गया है।

**Accounting of broker fee:** Fees from brokers of cash segment under schedule III and brokers of derivative segment under schedule IV prior to amendment are accounted on receipt basis in view of the reasons mentioned below.

Fees payable by brokers of the cash segments of the Exchanges has been contested by some of the brokers on the grounds of SEBI's competence to levy fees, the basis of fees, definition of turnover, computation methodology, before various courts. Despite Supreme Court judgement in February 2001, which upheld SEBI's powers to levy fees and ratified the basis of levy of fees, there are still a large number of cases pending before the Securities Appellate Tribunal (SAT), High Courts and the Supreme Court relating to different aspects of the fees. However, to provide a one-time opportunity, to enable the Stock Brokers, to regularise the default, SEBI came out with the SEBI (Interest Liability Regularisation) Scheme in 2004. Though many brokers have availed of the Scheme and made payments, some are awaiting decisions from the Courts. Until the Courts finally dispose off the issues, the Board is of the view that the income need not be accrued in the accounts, as being sub-judice. The income therefrom is not certain, in terms of AS 9 of ICAI, as per Para 9 “Effect of uncertainties on Revenue Recognition”. Therefore the recognition of revenue is postponed to realisation.

5. **पट्टे पर कार्यालय तथा रिहायशी परिसर :** बोर्ड ने इजाजत और अनुज्ञप्ति (लीव एंड लाइसेंस) इंतजामों के आधार पर पट्टे के तहत रिहायशी तथा कार्यालय परिसर लिए हैं। इन्हें सामान्यतः रद्द किया जा सकता है और जिनकी अवधि 12 महीनों से 60 महीनों के बीच की है और इन्हें परस्पर सहमत शर्तों के आधार पर नवीकृत किया जा सकता है। बोर्ड ने कुछ करारनामों के तहत ब्याजमुक्त जमानती जमाराशियाँ (जो वापस की जाती हैं) दी हुई हैं। पट्टा भुगतानों का अभिज्ञान आय-व्यय लेख में “किराया, दरें एवं कर” शीर्ष के तहत किया गया है।

बोर्ड ने अपने कुछ रिहायशी एवं कार्यालय परिसर पट्टे पर दिए हैं। ये सामान्यतः रद्द नहीं किए जा सकते हैं और जो 12 महीनों से 60 महीनों की अवधि के लिए हैं और जिनका नवीकरण परस्पर सहमत शर्तों के आधार पर किया जा सकता है।

**Office and Residential Premises on Lease:** The Board has taken residential and office premises under operating lease on leave and license arrangements. These are generally cancellable and range between 12 months to 60 months and are renewable by mutually agreeable terms. The Board has given refundable interest free security deposits under certain agreements. Lease payments are recognised in the Income and Expenditure Account, under the head ‘Rent, Rates and Taxes’.

The Board has given some of its residential and office premises under operating lease. These are generally non-cancellable and are for a period of 12 months to 60 months and are renewable by mutually agreeable terms.

6. **लेखा नीति में बदलाव के कारण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के लेखों पर प्रभाव:**

**Impact on SEBI's Financials due to change in accounting policy:**

नीति में बदलाव / Change in Policy	प्रभाव (₹ करोड़ में) Impact (₹ crore)
उसी आस्ति (असेट) का पूँजीकरण किया जाता है, जिसकी न्यूनतम लागत ₹ 10,000.00 हो, जबकि पहले इस संबंध में कोई भी सीमा निर्धारित नहीं थी Minimum cost of asset shall be of ₹ 10,000.00 for qualifying to be capitalized as against the no minimum threshold limit earlier	0.04
तीन वर्षों की अवधि के भीतर सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन किया जाता है, जबकि पहले यह दो वर्षों में किया जाता था Software costs are amortised within a period of three years as against two years	1.17



7. **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के बचत / मीयादी जमा खातों में शेष राशियाँ :** प्रत्यर्पण निधि, वसूली कार्यवाहियों और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेशों से संबंधित ₹ 32.23 करोड़ की राशि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के बचत / मीयादी जमा (टर्म डिपॉजिट) खातों में रखी गई है।

**Balances kept in SEBI's Savings/Term deposits Account:** An amount of ₹ 32.23 crore with regard to Disgorgement fund, Recovery proceedings and SAT orders is kept in SEBI's savings/Term deposit Account.

8. **उपदान (ग्रेच्युटी) एवं छुट्टियों का नकदीकरण :** बोर्ड ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा-मानक 15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी प्रसुविधाएँ" को अपनाया है। बोर्ड ने अपने कर्मचारियों की बाबत उपदान (ग्रेच्युटी) और छुट्टियों के नकदीकरण संबंधी देयताओं के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम की क्रमशः ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम और ग्रुप लीव एनकैशमेंट स्कीम के जरिए प्रावधान किया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने 37 नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी ली, क्योंकि उन्हें पुरानी पॉलिसी में शामिल नहीं किया जा सकता।

**Gratuity and Leave Encashment:** The Board has adopted Accounting Standard 15 (revised 2005) 'Employee Benefits' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The Board has funded the Gratuity and Leave encashment liabilities in respect of its employees with Group Gratuity Scheme and Group Leave encashment scheme respectively, of LIC of India. Further during the FY 2015-16, SEBI has taken a new policy for its 37 new joined employees, as they can't be enrolled in the old policy.

- I. **सारणी में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाया गया है :**

**Table showing changes in present value of obligations:**

सारणी - 1 / Table - 1

(करोड़ ₹ में / ₹ in crore)

ब्यौरे Particulars	उपदान (ग्रेच्युटी) Gratuity		छुट्टियों का नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना) Leave Encashment	
	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
वर्ष के आरंभ में बाध्यता का वर्तमान मूल्य Present value of obligation as at beginning of year	35.93	28.95	42.27	36.07
जोड़ें : ब्याज लागत Add: Interest Cost	2.96	2.39	3.49	2.97
जोड़ें : चालू सेवा लागत Add: Current service cost	3.96	3.59	2.17	2.11
घटाएँ : प्रसुविधाएँ (जिनके संबंध में भुगतान किया गया) Less: Benefits paid	0.10	0.08	1.09	0.99
जोड़ें : बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Add: Actuarial (gain)/Loss on obligations	5.19	1.08	2.18	2.10
तुलन-पत्र की अनुसूची 5B के अनुसार वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Present value of obligations as at end of year as per Schedule 5B of the Balance Sheet	47.94	35.93	49.02	42.26

II. सारणी में योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाया गया है :

Table showing changes in the fair value of plan assets:

सारणी - 2 / Table - 2

(करोड़ ₹ में / ₹ in crore)

ब्यौरे Particulars	उपदान (ग्रेच्युटी) Gratuity		छुट्टियों का नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना) Leave Encashment	
	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) का वर्तमान मूल्य Present value of plan assets at beginning of year	35.02	27.52	40.88	33.78
जोड़ें : योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) पर प्रत्याशित प्रतिफल Add: Expected return on plan assets	2.89	2.27	3.37	2.79
जोड़ें : अंशदान / Add: Contributions	4.87	5.08	3.56	5.06
घटाएँ : प्रसुविधाएँ (जिनके संबंध में भुगतान किया गया) Less: Benefits paid	0.10	0.08	1.09	0.99
जोड़ें : बीमांकिक लाभ / (हानि) Add: Actuarial Gain / (Loss)	0.07	0.23	0.06	0.24
तुलन-पत्र की अनुसूची 5B के अनुसार वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) का उचित मूल्य Fair value of plan Assets at the end of year as per Schedule 5B of Balance sheet	42.75	35.02	46.78	40.88

III. प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ :

The principal actuarial assumptions:

सारणी - 3 / Table - 3

ब्यौरे Particulars	उपदान (ग्रेच्युटी) Gratuity	छुट्टियों का नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना) Leave Encashment
मितिकाटा दर / Discount Rate	8.25	8.25
वेतन वृद्धि दर / Salary escalation rate	10	10

9. **भविष्य निधि** : लेखा मानक 15, कर्मचारी प्रसुविधाएँ (संशोधित 2005) को अमल में लाए जाने के संबंध में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश (गाइडेंस) के अंतर्गत यह उल्लेख है कि ऐसी प्रसुविधाओं को निश्चित प्रसुविधा योजनाएँ माना जाएगा जिनमें नियोक्ता द्वारा बनाई गई भविष्य निधियाँ शामिल हैं, जिनके संबंध में ब्याज संबंधी कमियों को पूरा किया जाना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की कर्मचारी भविष्य निधि में बोर्ड के अंशदान के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निम्नानुसार किया गया ₹ 5.04 करोड़ का प्रावधान शामिल है :

**Provident Fund:** The Guidance on Implementing AS 15, Employee Benefits (revised 2005) issued by Accounting Standards Board of ICAI states that benefits involving employer established provident funds, which require interest shortfalls to be recompensed, are to be considered as Defined Benefit Plans. During the financial year 2015-16, the Board's contribution to SEBI Employees Provident Fund includes provision of ₹ 5.04 crore made based on the Actuarial Valuation as under:

I. अवधि के दौरान प्रसुविधा बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :

**Changes in Present Value of Benefit obligation during the period:**

सारणी - 4 / Table - 4

(करोड़ ₹ में / ₹ in crore)

ब्यौरे / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
प्रत्याशित प्रसुविधा बाध्यता, अवधि के आरंभ में Projected Benefit obligation, Beginning of Period	158.92	127.56
चालू सेवा लागत Current Service Cost	8.93	8.22
ब्याज लागत Interest Cost	14.72	11.63
प्रसुविधाएँ (जिनके संबंध में भुगतान किया गया) Benefits paid	(0.95)	(1.30)
कर्मचारियों का अंशदान Employee Contribution	12.98	11.60
बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gain) / Loss	4.42	1.21
प्रत्याशित प्रसुविधा बाध्यता, अवधि के अंत में Projected Benefit Obligation, End of Period	199.02	158.92

प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ – मितिकाटा दर : 7.64%

Principal Actuarial Assumptions - Discount rate: 7.64%.

II. अवधि के दौरान योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) के उचित मूल्य में परिवर्तन:

**Changes in Fair value of plan Assets during the period:**

सारणी - 5 / Table - 5

(करोड़ ₹ में / ₹ in crore)

ब्यौरे / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) का उचित मूल्य, अवधि के आरंभ में Fair value of Plan Assets, Beginning of period	157.71	127.36
योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) पर प्रतिफल Return on Plan assets	14.30	11.61
नियोक्ता का अंशदान Employer Contribution	8.93	8.22
कर्मचारियों का अंशदान Employee Contribution	12.98	11.60
आस्ति लाभ / (हानि) Asset Gain / (Loss)	1.01	0.22
प्रसुविधा भुगतान Benefit Payments	(0.95)	(1.30)

ब्यौरे / Particulars	वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15
योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) का उचित मूल्य, अवधि के अंत में Fair value of Plan Assets, End of Period	193.98	157.71
प्रत्याशित प्रसुविधा बाध्यता, अवधि के अंत में Projected Benefit Obligation End of Period	199.02	158.92
तुलन-पत्र की अनुसूची 5ख के अनुसार अभिज्ञात दायित्व (देनदारी) Liability Recognised in the Balance Sheet as per Schedule 5B	5.04	1.21

प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ – मितिकाटा दर : 7.64%

Principal Actuarial Assumptions - Discount rate: 7.64%.

10. विविध देनदारों में निम्नलिखित शामिल हैं :

**Sundry Debtors** comprise of the following :

सारणी – 6 / Table - 6

(करोड़ ₹ में / ₹ in crore)

ब्यौरे / Particulars	31 मार्च, 2016 तक March 31, 2016	31 मार्च, 2015 तक March 31, 2015
विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्य सूचीबद्धता फीस अंशदान Listing Fees contribution receivable from various Stock Exchanges	0.72	0.49
विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्य विनियामक फीस Regulatory fee receivable from various Stock Exchanges	22.87	23.11
प्रतिभूति अभिरक्षक से प्राप्य वार्षिक फीस Annual Fees receivable from Custodian of Securities	31.71	27.60
प्राप्य शास्तियाँ Penalties receivable	0.01	0.01
दलाल फीस – नकदी खंड Broker Fees – Cash Segment	1.83	1.97
व्युत्पन्नी – इक्विटी (एफ एंड ओ) Derivatives – Equity (F&O)	4.47	4.82
व्युत्पन्नी – मुद्रा (करंसी) Derivatives – Currency	2.00	1.75
प्राप्य विनियामक फीस – एफवीसीआई एवं एफपीआई Regulation Fees Receivable-FVCI and FPI	6.62	3.01
कमोडिटी व्युत्पन्नी स्टॉक एक्सचेंजों से विनियामक (रेग्युलेटरी) फीस Regulatory Fees from Commodity Derivative - stock exchanges	2.73	—
प्राप्य फीस – कमोडिटी व्युत्पन्नी दलालों से Fees Receivable - Commodity Derivatives Brokers	1.11	—
विनियामक फीस – निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) – ऋण (डैट) Regulatory Fees Private placement -Debt	0.05	—
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>74.12</b>	<b>62.76</b>

11. विदेशी मुद्रा में आय :

**Earnings in Foreign Currency:**

सारणी - 7 / Table - 7

(करोड़ ₹ में/₹ in crore)

व्यौरे / Particulars	31 मार्च, 2016 तक March 31, 2016	31 मार्च, 2015 तक March 31, 2015
विदेशी संस्थागत निवेशकों, उप-लेखे (सब-अकाउंट) - विदेशी संस्थागत निवेशकों, विदेशी जोखिम पूँजी निधियों से फीस और आईडीआर संबंधी प्रस्ताव दस्तावेज फीस Fees from Foreign Institutional Investors, Sub account - Foreign Institutional Investors, Foreign Venture Capital Funds and towards Offer Document fees for IDR	61.45	44.73

12. विदेशी मुद्रा में व्यय :

**Expenditure in Foreign Currency:**

सारणी - 8 / Table - 8

(करोड़ ₹ में/₹ in crore)

व्यौरे / Particulars	31 मार्च, 2016 तक March 31, 2016	31 मार्च, 2015 तक March 31, 2015
विदेश यात्रा Foreign Travelling	2.08	1.57
सदस्यता शुल्क एवं अभिदान Membership Fees & Subscription	0.02	0.48
संगोष्ठी, सम्मेलन, प्रशिक्षण, सलाहकार समिति की बैठक Seminar, conference, training, Advisory Committee meeting	0.32	0.28
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>2.40</b>	<b>2.33</b>

13. **बोली फीस :** 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, बोली फीस के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को कुल ₹ 164.47 करोड़ की राशि प्राप्त हुई (पिछले वर्ष : ₹ 107.13 करोड़) और पूरी राशि भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है।

**Bidding fees:** During the year ended March 31, 2016, SEBI has received a sum of ₹ 164.47 crore as bidding fees (Previous Year ₹ 107.13 crore) and the entire amount has been remitted to Government of India.

14. **शास्ति (पेनल्टी) / निपटान (सेटलमेंट) शुल्कों का प्रेषण :** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 15अक (15जेए) के अनुसार, बोर्ड ने वर्ष के दौरान शास्ति के रूप में प्राप्त ₹ 10.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12.59 करोड़) की राशि भारत की संचित निधि में जमा करा दी है। वर्ष के दौरान, निपटान शुल्क के तौर पर एकत्र की गई ₹ 4.27 करोड़ की राशि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 17 अक्टूबर, 2011 के अंतरिम आदेश के मद्देनज़र, भारत की संचित निधि में जमा नहीं की गई है।

**Remittance of penalty/settlement charges:** In terms of Section 15JA of SEBI (Amendment) Act 2002, the Board has remitted a sum of ₹ 10.74 crore (Previous Year: ₹ 12.59 crore) to the Consolidated Fund of India (CFI) being penalty realized during the year. During the year, a sum of ₹ 4.27 crore collected as settlement charges has not been remitted to the CFI keeping in view interim order dated October 17, 2011 of Delhi High Court.

15. **वसूली संबंधी कार्यवाहियाँ :** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क (28ए), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अख (23जेबी) तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19-झख (19-आईबी) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह चूककर्ताओं (डिफॉल्टर्स) से रकमों की वसूली कर सकता है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को अलग-अलग शीर्षों अर्थात् वसूली प्रत्यर्पण (रिकवरी डिस्गॉर्जमेंट), वसूली शास्ति (रिकवरी पेनल्टी) और वसूली फीस (रिकवरी फीस) के तहत वसूली संबंधी कार्यवाहियों के रूप में ₹ 12.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12.36 करोड़) की रकम प्राप्त हुई है।

**Recovery Proceedings:** SEBI has been empowered under section 28A of the SEBI Act, 1992, Sec-23 JB of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Sec-19-1B of the Depositories Act, 1996 to recover various amounts due from defaulters. During the year ended March 31, 2016 SEBI has received ₹ 12.50 crore (Previous Year ₹ 12.36 crore) as Recovery Proceedings under different heads viz. recovery disgorgement, recovery penalty and recovery fees etc.

16. **प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के अनुसरण में जमाराशियाँ :** प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी अंतरिम आदेशों के अनुसरण में, विभिन्न मध्यवर्तियों और बाजार सहभागियों ने बोर्ड के पास धनराशि जमा की है और इसे "प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसरण में जमाराशियाँ" शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है। ब्याज सहित ₹ 7.64 करोड़ की राशि (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार ब्याज-युक्त जमाराशि से संबंधित) उसी खाते में पड़ी है (पिछले वर्ष : ₹ 6.98 करोड़)।

**Deposit pursuant to SAT Order:** Pursuant to Interim Orders issued by Securities Appellate Tribunal (SAT) from time to time, various intermediaries and market participants have deposited monies with the Board and the same is being shown under the head 'Deposit pursuant to SAT Order'. An amount together with interest of ₹ 7.64 crore (pertaining to interest bearing deposit as per SAT Order) is lying in the same account (Previous year: ₹ 6.98 crore).

17. **मैसर्स गोल्डन फॉरेस्ट्स (इं) लि. :** बोर्ड बनाम मैसर्स गोल्डन फॉरेस्ट्स (इं) लि. के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के निदेशों के अनुसरण में, समय-समय पर निजी रिसीवर के निदेशों के अनुसार संपत्तियों की बिक्री से होने वाली आमदनी को जमा किए जाने तथा भुगतान किए जाने हेतु अलग से एक बचत खाता खोला गया है। उपरोक्त खाते में ₹ 0.38 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 0.37 करोड़) की रकम पड़ी है।

**M/s. Golden Forests (I) Ltd.:** Pursuant to the directions of the Hon'ble High Court, Mumbai, in the matter of the Board v/s M/s. Golden Forests (I) Ltd., a separate savings bank account has been opened for crediting the proceeds from the sale of properties and making the payments in accordance with the directions of the private receiver from time to time. An amount of ₹ 0.38 crore (Previous Year: ₹ 0.37 crore) is lying in the above designated account.

18. **आईपीईएफ से प्राप्य :** निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि (आईपीईएफ) की तरफ से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा की गई अदायगियाँ, जो निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में से वसूल की जाती हैं, 31 मार्च 2016 को ₹ 2.31 करोड़ रहीं (पिछले वर्ष ₹ 16.14 करोड़)।

**Receivable from IPEF:** Payments made by SEBI on behalf of Investor Protection and Education Fund (IPEF) recoverable from IPEF as on March 31, 2016 stands at ₹ 2.31 crore (Previous year : ₹ 16.14 crore).

19. **राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम):** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) की स्थापना बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के तहत एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में की। वर्ष 2005 में, भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के बाद इसकी स्थापना एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इस संस्थान के मुख्य कार्य हैं – शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य। इसके अलावा इसका कार्य भारत में प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज मार्केट) में शोध कार्यों को बढ़ावा देना है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के बोर्ड तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) के बोर्ड ने क्रमशः 12 मार्च, 2016 तथा 9 फरवरी, 2016 को हुई अपनी बैठकों में यह संकल्प पारित किया कि पातालगंगा में स्थित कैम्पस की आस्तियों (लैंड / भूमि व भवन) को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की बहियों में दिखाया जाए। इस संबंध में, 22 मार्च, 2016 को दोनों पक्षकारों द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की भूमि व भवन को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की बहियों में दिखाया जा सके। तदनुसार, पातालगंगा परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान को 31 मार्च, 2015 तक ₹ 137.15 करोड़ दिए गए। पहले इस रकम को व्यय के रूप में दिखाया गया था, किंतु इस वर्ष इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की बहियों में पूँजीगत अग्रिम (कैपिटल एडवांस) – एनआईएसएम पातालगंगा परियोजना के तहत दिखाया गया है और इसे असाधारण आय के तहत प्रकट किया गया है। बोर्ड ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 85.68 करोड़ दिए और पातालगंगा परियोजना के निर्माण की लागत हेतु ₹ 100 करोड़ की रकम और देने का वचन दिया है।

**NISM:** SEBI has established National Institute of Securities Markets (NISM) as a Public Trust under Bombay Public Trust Act, 1950. It has been established as a not-for-profit educational institute, consequent upon the budget announcement by the Finance Minister of India in the year 2005, with a view to undertake a variety of educational, training, research activities and to promote research initiatives in the securities markets in India.

SEBI Board & NISM Board in their meeting held on March 12, 2016 and February 09, 2016 respectively, resolved that the assets (land & building) of the campus at Patalganga to be taken in the books of SEBI. In this regard an MOU was signed on March 22, 2016, by both the parties for taking over the Land and Buildings of NISM into the books of SEBI. Accordingly contribution of ₹ 137.15 crore made till March 31, 2015 to NISM for construction of Patalganga Project, which was earlier shown as expenditure has been reversed during the current year, is booked under Capital Advance – NISM Patalganga Project in SEBI's books and disclosed under extra ordinary income.

The Board has made a contribution of ₹ 85.68 crore during the current financial year and committed to fund another ₹ 100.00 crore towards the cost of construction of Patalganga project.

20. **अदत्त चेक :** ₹ 0.03 करोड़ तक की राशि के चेक जो जारी किए गए किन्तु 3 वर्षों से भी अधिक समय से जिनका समाशोधन नहीं हुआ (जो क्लीयर नहीं हुए) विविध आय में अंतरित (ट्रान्सफर) किए जा चुके हैं (पिछले वर्ष : ₹ 0.02 करोड़)।

**Unpaid cheques:** The cheques issued but not cleared for more than 3 years amounting to ₹ 0.03 crore have been transferred to Miscellaneous Income Account (Previous year: ₹ 0.02 crore).

21. **अधिशेष निधियाँ :** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की अधिशेष निधियों को 'लोक लेखे' (पब्लिक अकाउंट) में अंतरित किए जाने संबंधी मामले के विषय में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पत्राचार जारी है। हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने तारीख 24 नवम्बर, 2014 के पत्र के माध्यम से भारत के वर्तमान महान्यायवादी (अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया) द्वारा दी गई कानूनी राय का जिक्र किया था, जिसके अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के अनुसार लगाई गई फीस को भारत सरकार का 'राजस्व' नहीं माना जा सकता और न ही इसे 'सार्वजनिक धन' माना जा सकता है। इसीलिए, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के खंड (2) के तहत भारत सरकार के लोक लेखे (पब्लिक अकाउंट) का हिस्सा भी नहीं माना जा सकता।

**Surplus funds:** The matter relating to transfer of surplus funds of SEBI to "Public Account" is under correspondence with Ministry of Finance, Government of India. In the recent past, SEBI vide letter dated November 24, 2014 has provided the legal opinion of the present Ld. Attorney General of India that fees levied by SEBI as per securities laws is not 'revenue' of the Government of India or 'public monies' and hence cannot be part of the Public Account of Government of India maintained under clause (2) of Article 266 of the Constitution of India.



22. **जमाराशियाँ :** 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार जमाराशियों के विवरण:

**Deposits:** The details of Deposits as on March 31, 2016 are as under:

I. अनुसूचित बैंकों में :

With Scheduled Banks:

सारणी - 9 / Table - 9

(करोड़ ₹ में/ ₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	बैंक का नाम Name of the Bank	31 मार्च 2016 को As on March 31, 2016		31 मार्च 2015 को As on March 31, 2015	
		अंतिम शेष Closing Balance	अधिकतम शेष Maximum Balance	अंतिम शेष Closing Balance	अधिकतम शेष Maximum Balance
1.	आंध्रा बैंक / Andhra Bank			—	36.00
2.	ऐक्सिस बैंक / Axis Bank	17.00	75.00	75.00	75.00
3.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा / Bank of Baroda	65.00	65.00	65.00	268.00
4.	बैंक ऑफ़ इंडिया / Bank of India	0.00	16.00	16.00	129.00
5.	केनरा बैंक / Canara Bank	277.00	327.00	277.00	277.00
6.	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक / Indian Overseas bank	20.00	20.00	20.00	20.00
7.	कार्पोरेशन बैंक / Corporation Bank	340.00	340.00	340.00	340.00
8.	देना बैंक / Dena Bank	252.00	252.00	252.00	252.00
9.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक / Punjab and Sind Bank	135.00	160.00	135.00	135.00
10.	भारतीय स्टेट बैंक / State Bank of India	333.00	333.00	323.00	323.00
11.	स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद / State Bank of Hyderabad	27.00	27.00	27.00	27.00
12.	इलाहाबाद बैंक / Allahabad Bank	89.00	89.00	12.00	12.00
13.	स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर / State Bank of Travancore	116.00	116.00	116.00	116.00
14.	पंजाब नेशनल बैंक / Punjab National Bank	18.00	18.00	—	—
	<b>कुल / TOTAL</b>	<b>1689.00</b>		<b>1658.00</b>	



## II. संस्थाओं में :

### With Institutions:

सारणी - 10 / Table - 10

(करोड़ ₹ में/₹ in crore)

क्र.सं. Sr. No.	संस्था का नाम Name of the Institution	31 मार्च 2016 को As on 31 <sup>st</sup> March, 2016		31 मार्च 2015 को As on 31 <sup>st</sup> March, 2015	
		अंतिम शेष Closing Balance	अधिकतम शेष Maximum Balance	अंतिम शेष Closing Balance	अधिकतम शेष Maximum Balance
1.	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	16.00	16.00	16.00	16.00

23. **सेबी-सहारा रिफंड एकाउंट** : माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 31 अगस्त, 2012 तथा 5 दिसम्बर, 2012 के आदेशों के अनुसरण में, सहारा 5 दिसम्बर, 2012 को ₹ 5120 करोड़ की राशि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा "सेबी-सहारा रिफंड एकाउंट" के नाम से खोले गए खाते में जमा कर चुका है। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के तारीख 13 फरवरी, 2013 के आदेश के अनुसरण में, विभिन्न बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा "सेबी-सहारा रिफंड एकाउंट" के नाम से खोले गए खाते में कुल ₹ 22.19 करोड़ की राशि अंतरित कर चुके हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 जून, 2014 के आदेश के अनुसरण में विभिन्न बैंकों से कुल ₹ 4,723.86 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार, उक्त राशि तथा उक्त राशि पर अर्जित ब्याज (अर्थात् ₹ 11036.00 करोड़) राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा (फिक्सड डिपॉजिट) खाते में जमा कर दी गई और ₹ 690.73 करोड़ की शेष राशि "सेबी-सहारा रिफंड एकाउंट" के नाम से बैंक ऑफ़ इंडिया में खोले गए बचत खाते में रखी गई है। अब तक बॉण्डधारकों को ₹ 54.43 करोड़ की राशि (ब्याज सहित) की धन-वापसी की जा चुकी है।

23. **SEBI - Sahara Refund Account:** Pursuant to the Hon'ble Supreme Court's Orders dated 31<sup>st</sup> August 2012 and 5<sup>th</sup> December 2012, Saharas have remitted amount of ₹ 5120.00 crore on 5<sup>th</sup> December 2012 to the account designated by SEBI i.e. "SEBI - Sahara Refund Account". Further, pursuant to the SEBI's Order dated 13<sup>th</sup> February 2013, various banks have transferred aggregate amount of ₹ 22.19 crore to the account designated by SEBI i.e. "SEBI - Sahara Refund Account". In addition to the above, pursuant to order of Hon'ble Supreme Court dated 4<sup>th</sup> June 2014, an aggregate amount of ₹ 4723.86 crore has been received from various banks.

As directed by the Hon'ble Supreme Court, the said amount along with interest earned on the said amount i.e. ₹ 11036.00 crore, has been deposited in Fixed Deposits with Nationalized Banks and the balance amount ₹ 690.73 crore held in saving bank a/c with Bank of India in the name of "SEBI - Sahara Refund Account". The amount refunded to the bondholders so far is ₹ 54.43 crore (including interests).

24. **सेबी-पीएसीएल रिफंड एकाउंट** : पीएसीएल लि. के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुसरण में, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लोढा समिति का गठन किया गया। "सेबी-पीएसीएल रिफंड एकाउंट" के नाम से अलग से एक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें कुर्की / वसूली / न्यायालय के आदेश (आदेशों) के अनुसरण में वसूली गई समस्त रकम जमा कर दी जाती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पारित किए गए आदेशों के अनुसार, ₹ 211.27 करोड़ की रकम प्राप्त हुई है तथा इस बैंक खाते में ब्याज सहित ₹ 212.02 करोड़ रुपये की रकम पड़ी हुई है।

**SEBI- PACL Refund Account:** Pursuant to the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of PACL Ltd, a committee is constituted as Justice (ret'd) Lodha Committee. A designated bank account is opened in the name "SEBI- PACL Refund Account" whereby all the amount realized pursuant to the attachment/ recovery/court order(s) is transferred to the above designated bank account.

As per orders passed by SEBI, an amount of ₹ 211.27 crore has been received and along with interest an amount of ₹ 212.02 crore is lying in the above designated account.

25. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वाधवा समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने उन निवेशकों को शेयरों का पुनःआबंटन करना शुरू कर दिया है, जो वर्ष 2002-05 के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) में हुई अनियमितताओं से प्रभावित हुए थे। इसके मद्देनज़र, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने प्रभावित निवेशकों को वर्ष 2010 में पहले चरण (ट्रंच) में पैसे दिए। यह पैसा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) में हुई अनियमितताओं से संबंधित मामलों के संबंध में प्रत्यर्पण से मिले पैसे (डिस्गार्जमेंट प्रोसीड्स) और सहमति प्रक्रिया के तहत प्राप्त रकम से दिया गया था। चूँकि, उक्त खाते में फिर भी काफी रकम शेष थी जिसमें प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के तहत प्रदत्त वसूली संबंधी शक्तियों के तहत वसूली गई रकम शामिल थी, इसलिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने दिसम्बर, 2015 में दूसरे चरण (ट्रंच) में पैसा देना शुरू किया। तदनुसार, एचडीएफसी में अलग से खोले गए खाते में ₹ 19.00 करोड़ रुपये अंतरित (ट्रंसफर) किए गए, ताकि 4.63 लाख निवेशकों में पैसा दिया जा सके।

As per the recommendations of Justice (Retd.) Wadhwa Committee, SEBI has initiated reallocation of shares to the investors affected in IPOs irregularities in 2002-05. In view of the same, SEBI has distributed money in the first tranche in 2010 to the affected investors. The money was distributed from the disgorgement proceeds and amount collected under consent in connection with the cases relating to IPO irregularities. Since, considerable amount was again available under the said account including the amounts recovered under the Recovery powers conferred under Securities Laws (Amendment) Act, 2014, SEBI has initiated the 2nd Tranche of distribution in Dec. 2015. Accordingly an amount of ₹ 19.00 crore was transferred to HDFC dedicated account for distribution to 4.63 lac investors.

26. **सीएमआरएल से मुआवजा :** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय (चेन्नई) के लिए 'जैसा है जहाँ है और जो है जहाँ है' आधार पर, ₹ 37.04 करोड़ के कुल खर्च पर, अक्टूबर 2008 में ओवरसीज टॉवर्स, 756-एल, माउंट रोड, चेन्नई - 600002 में कार्यालय परिसर लिया गया (अर्जित किया गया)। परिसर में, अन्य के साथ-साथ, 12912.15 वर्ग फुट के बराबर का 35.70% का अविभक्त हिस्सा (अनडिवाइडेड शेयर) शामिल है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के भागस्वरूप ओवरसीज टॉवर्स परिसर की कुल भूमि का एक हिस्सा अर्जित किया था, जिसका माप 2,248 वर्ग फुट था और उस भाग के लिए मुआवजा दिया गया। चूँकि जून 2012 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा प्राप्त ₹ 1.08 करोड़ का मुआवजा भूमि के बही मूल्य से कम था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.88 करोड़ की हानि हुई है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत मुआवजा बढ़ाए जाने के लिए तारीख 25 अप्रैल, 2012 के पत्र के माध्यम से विशेष तहसीलदार (एलए) को आवेदन किया है और आवेदन उनके पास लंबित है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक और ईसीजीसी ने मिलकर (के कन्सोर्टियम ने) एडवोकेट (मैसर्स शिवकुमार एंड सुरेश, चेन्नई) को नियुक्त किया है, ताकि वे चेन्नई में स्थित सिटी सिविल कोर्ट की माननीय VI असिस्टेंट कोर्ट में उनका पक्ष रख सकें और उपरोक्त मामले में मुआवजे के दावे के लिए याचिका दायर की जा चुकी है। इसके अलावा, इस मामले में सुनवाई चेन्नई में स्थित सिटी सिविल कोर्ट की माननीय VI असिस्टेंट कोर्ट में 1 जून, 2016 को की जाएगी (इस मामले के संबंध में प्रूफ एफिडेविट दाखिल करने हेतु)।

**Compensation from CMRL:** SEBI, Regional Office (Chennai) acquired office premises at Overseas Towers, 756-L, Mount Road, Chennai - 600 002 in October 2008 at a total cost of ₹37.04 crore on 'as is where is and what is where is' basis. The premises, inter-alia, comprises of undivided share of 35.7% equivalent to 12912.15 sq ft. The Chennai Metro Rail Limited (CMRL) had acquired a portion of total land, admeasuring 2,248 sq. ft. from the Overseas Towers premises as part of the Chennai Metro rail project and disbursed compensation for the same. Since the compensation of ₹ 1.08 crore received by SEBI in June 2012 was less than the book value of the land, this resulted in loss of ₹ 0.88 crore. SEBI vide letter dated April 25, 2012 had made an application to the Special Tahsildar (LA) for enhancement of compensation award under Section 18 of the Land Acquisition Act, 1894 and the application is pending with them. The consortium comprising of SEBI, SIDBI, EXIM Bank and ECGC have appointed advocates, M/s Shivakumar and Suresh, Chennai to represent them in the Hon'ble VI Assistant Court in the City Civil Court in Chennai and a compensation claim petition has been filed in respect of the above matter. Further, the case is coming up for hearing in the Hon'ble VI Assistant Court in the City Civil Court in Chennai on June 01, 2016 for filing of Proof Affidavit in the matter.

27. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में नवम्बर 2012 से वेतन में संशोधन होना बाकी है। वेतन में किए जाने वाले इस संशोधन के मद्देनज़र, बोर्ड ने वर्तमान वर्ष के दौरान कुल ₹ 75.00 करोड़ की अनुमानित राशि का प्रावधान कर दिया है।

Pay revision in SEBI is due since November, 2012. In anticipation of salary revision the Board made an estimated aggregate provision of ₹ 75.00 crore during the current year.

28. **ह्रास :** बोर्ड की राय में, वर्ष के दौरान ऐसी आस्तियों का कोई बहुत अधिक ह्रास नहीं हुआ है, जिन पर लेखा मानक 28 - “आस्तियों का ह्रास” लागू है।

**Impairment:** In the opinion of the Board, there is no material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - “Impairment of Assets” applies.

29. **एमएसएमडी संबंधी प्रकटीकरण :** उन आपूर्तिकर्ताओं को कोई मूल राशि देय नहीं है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन आते हैं; इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है (पिछले वर्ष : शून्य)। उन्हें कोई ब्याज देय नहीं है। एमएसएमडी के रूप में आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति का निर्धारण उनसे प्राप्त पुष्टियों के आधार पर किया जाता है।

**MSMED disclosure:** There is no principal amount due to suppliers who are covered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006; hence no provision has been made ( Previous year: NIL). There is no interest payable to them. The status of suppliers as MSME is determined based on the confirmations received from them.

30. **शेषराशि की पुष्टि :** पूर्व पद्धति के अनुसार, देनदारों और लेनदारों के संबंध में, शेषराशि बही खाते के अनुसार मानी जाती है। बोर्ड की राय में, चूंकि राशियाँ पूर्णतः वसूलीयोग्य / देय हैं, इसलिए निपटान के समय ऐसा कोई ठोस अंतर उत्पन्न हो जाने की उम्मीद नहीं है, जिससे वित्तीय विवरणों में लेखा-जोखा (लेखांकन) प्रभावित हो।

**Balance confirmation:** As per past practice, in respect of debtors and creditors, balance as per books of account are considered. In the opinion of the Board, since the amounts are fully recoverable / payable, no material difference is expected to arise at the time of settlement, requiring accounting effect in the financial statements.

31. तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखे तथा प्राप्ति और भुगतान खाते में दिए गए आँकड़ों को करोड़ रुपये में पूर्णांकित कर दिया गया है। इसके अलावा, पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है।

Figures in the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account have been rounded off to the Rupees in crore. Further, the previous year's figures have been regrouped to conform to current year's presentation.

32. 1 से 19 तक की अनुसूचियाँ 31 मार्च 2016 के तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे से संलग्न हैं और इनका अभिन्न भाग हैं।

Schedule 1 to 19 are annexed to, and form an integral part of the Balance Sheet as at March 31, 2016 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

कृते भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

बर्नाली मुखर्जी / BARNALI MUKHERJEE

For SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

मुख्य वित्तीय अधिकारी / CHIEF FINANCIAL OFFICER

एस. रवीन्द्रन / S RAVINDRAN

यू.के. सिन्हा / U. K. SINHA

कार्यपालक निदेशक / EXECUTIVE DIRECTOR

अध्यक्ष / CHAIRMAN

स्थान / Place : मुंबई / MUMBAI

तारीख / Date : 17.06.2016

